



भारत सरकार, रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड



केंद्रीकृत रोजगार सूचना (सीईएन (CEN)) संख्या 02/2024



तकनीशियन की भर्ती





भारत सरकार, रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड



केंद्रीकृत रोजगार सूचना (सीईएन (CEN)) संख्या 02/2024

तकनीशियन ग्रेड- I सिग्नल और तकनीशियन ग्रेड-III की विभिन्न श्रेणियों की भर्ती

आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि	09-03-2024
शुल्क के भुगतान सहित आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	08-04-2024 (23.59 hours)
संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ आवेदन पत्र में सुधार के लिए संशोधन विंडो की तिथियां [कृपया ध्यान दें: 'खाता बनाएं' (Create an Account) फॉर्म में भरे गए विवरण और चुने गए आरआरबी को संशोधित नहीं किया जा सकता है]	09-04-2024 to 18-04-2024

नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित निम्नलिखित पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन (सभी प्रकार से पूर्ण) 08.04.2024 के 23.59 बजे तक केवल ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए।

क्रमांक	पद	7वें सीपीसी में स्तर	प्रारंभिक वेतन (रु.)	चिकित्सा मानक	आयु यथावत 01-07-2024 *	कुल रिक्तियां (सभी आरआरबी)
1	तकनीशियन ग्रेड- I सिग्नल	स्तर-5	29200	बी 1	18 – 36 वर्ष	1092
2	तकनीशियन ग्रेड-III	स्तर-2	19900	अनुलग्नक-ए देखें	18 – 33 वर्ष	8052
कुल योग						9144
आरआरबी-वार और रेलवे जोन-वार रिक्तियों का विस्तृत वितरण अनुलग्नक- बी में दिया गया है।						

*इसमें कोविड-19 महामारी के कारण एक बार के उपाय के रूप में निर्धारित आयु सीमा से अधिक आयु में 3 वर्ष की छूट शामिल है।

महत्वपूर्ण निर्देश:

- कृपया ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले सीईएन (CEN) में दी गई जानकारी को अच्छी तरह से पढ़ें।
- उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे इस सीईएन (CEN) के अनुसार आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक या उससे पहले पद के लिए सभी निर्धारित शैक्षिक और तकनीकी योग्यताएं पूरी करते हैं। **निर्धारित शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।** ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को अपनी पात्रता सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत सीईएन नंबर 02/2024 की पोस्ट पैरामीटर तालिका और रिक्ति तालिका को देखना आवश्यक है। प्रत्येक उम्मीदवार को एक विशिष्ट वेतन स्तर के लिए केवल एक आरआरबी के लिए आवेदन करने की अनुमति है, और किसी भी या सभी अधिसूचित पदों के लिए एक उम्मीदवार द्वारा उस वेतन स्तर में वरीयता के क्रम में केवल एक सामान्य ऑनलाइन आवेदन जमा किया जाना चाहिए, जिसके लिए उम्मीदवार

आवेदन करने के लिए पात्र और इच्छुक है। आवेदन केवल नीचे पैरा 14(एफ) में सूचीबद्ध किसी भी आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट के माध्यम से जमा किए जाने चाहिए। प्रत्येक वेतन स्तर के लिए एक अलग आवेदन जमा करना होगा, क्योंकि प्रत्येक वेतन स्तर के लिए एक अलग सीबीटी आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक वेतन स्तर के लिए लागू परीक्षा शुल्क का भुगतान भी अलग से करना आवश्यक है। एक बार आवेदन जमा हो जाने के बाद, चयनित आरआरबी उस वेतन स्तर के लिए अंतिम होगा। एक उम्मीदवार द्वारा समान वेतन स्तर के लिए एक से अधिक आरआरबी में आवेदन करने पर उस वेतन स्तर के लिए सभी आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा और डिबार कर दिया जाएगा।

- iii) उम्मीदवारों की पात्रता आवेदन में उम्मीदवारों द्वारा दिए गए विवरण के आधार पर अनंतिम होगी। आरआरबी पात्रता के लिए आवेदनों की विस्तृत जांच नहीं करेगा, इसलिए, आवश्यकतानुसार बुनियादी पात्रता मानदंडों को पूरा करने की शर्त पर उम्मीदवारी केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। उम्मीदवारों को शैक्षिक योग्यता, आयु, चिकित्सा मानकों आदि की आवश्यकताओं को पढ़ना होगा और खुद को संतुष्ट करना होगा कि वे पद के लिए पात्र हैं। आरआरबी द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय उनकी शैक्षिक योग्यता और आयु/जाति/श्रेणी आदि के समर्थन में प्रमाण पत्र/दस्तावेज मांगे जाएंगे। शैक्षिक योग्यता /आयु/जाति/श्रेणी आदि के प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों की जांच के बाद, यदि आवेदन में किया गया कोई भी दावा प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों द्वारा प्रमाणित नहीं होता है, तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा, भर्ती के किसी भी चरण के दौरान या उसके बाद भी, यदि यह पाया जाता है कि उम्मीदवार के बारे में कोई जानकारी झूठी/गलत है या यदि उम्मीदवार ने कोई प्रासंगिक जानकारी छिपाई है या उम्मीदवार पद के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो उसकी उम्मीदवारी तुरंत खारिज कर दी जाएगी।
- iv) एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/ईबीसी (EBC)स्थिति या किसी अन्य लाभ जैसा कि शुल्क रियायत, आरक्षण, आयु-छूट, आदि के दावे के लिए महत्वपूर्ण तिथि, जहां अन्यथा निर्दिष्ट नहीं है, वे इस सीईएन (CEN) के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि होगी।
- v) मेडिकल फिटनेस: उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे पद(दों) के लिए निर्धारित चिकित्सा मानकों को पूरा करते हैं। जो अभ्यर्थी चयनित पद(पदों) के लिए चिकित्सकीय रूप से अनुपयुक्त पाए जाएंगे, उन्हें कोई वैकल्पिक नियुक्ति नहीं दी जाएगी।
- vi) **आयु (01.07.2024 को): ए तकनीशियन ग्रेड- I** सिग्रल के लिए 18-36 वर्ष और **बी) तकनीशियन ग्रेड- III** पदों के लिए 18-33 वर्ष (आयु में छूट के बारे में विवरण के लिए कृपया पैरा 5.1 देखें)।
- vii) आरआरबी का चयन और पदों के लिए प्राथमिकताएं: इस सीईएन (CEN) में दर्शाई गई आरआरबी-वार और रेलवे-वार रिक्तियां अनंतिम हैं और ये संबंधित रेलवे प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार बढ़ या घट सकती हैं। उम्मीदवार वेतन स्तर में केवल एक आरआरबी चुन सकते हैं और रेलवे जून और अधिसूचित पदों/श्रेणियों के लिए अपनी प्राथमिकता बता सकते हैं, जिसके लिए उम्मीदवार आवेदन करने के इच्छुक हैं और पात्र हैं, केवल उसी चुने हुए आरआरबी में। आंशिक विकल्प वाले उम्मीदवारों का केवल उन्हीं रेलवे जून और केवल उनके द्वारा चुने गए पदों/श्रेणियों के लिए विचार किया जाएगा, जो आवंटन के समय रिक्ति की स्थिति के अधीन होगा। यदि कुछ पदों/श्रेणियों के लिए कोई विकल्प नहीं दिया गया है, तो इसे इसके लिए उनकी अनिच्छा माना जाएगा। एक बार दिए गए विकल्प अंतिम होंगे और किसी भी बदलाव पर विचार नहीं किया जाएगा।
- viii) भर्ती की पूरी अवधि के दौरान सभी संचार के लिए उम्मीदवारों के पास अपना सक्रिय मोबाइल नंबर और एक वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी होनी चाहिए, क्योंकि उनके साथ सभी संचार केवल एसएमएस और/या ईमेल के माध्यम से होंगे।
- ix) ऑनलाइन आवेदन के दौरान, उम्मीदवारों को एक खाता बनाने के लिए कहा जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार ने पहले ही सीईएन संख्या 01/2024 के लिए एक खाता बना लिया है, तो उन्हें इस सीईएन (यानी, सीईएन संख्या 02/2024) के लिए भी आवेदन जमा करने के लिए उसी खाता क्रेडेंशियल का उपयोग करके लॉग इन करना चाहिए। यदि उम्मीदवारों ने सीईएन नंबर 01/2024 के लिए खाता नहीं बनाया है, तो उन्हें इस सीईएन के लिए आवेदन भरने से पहले 'एक खाता बनाना होगा'। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे खाता निर्माण के लिए आवश्यक विवरण अत्यंत सावधानी से भरें, क्योंकि खाता बनने के बाद किसी भी प्रकार के सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी। **'खाता बनाएं' (Create an Account)फॉर्म में भरे गए विवरण (मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सहित) खाता बनने के बाद किसी भी चरण में संशोधित नहीं किए जा सकते हैं।**
- x) ऑनलाइन आवेदन (सभी प्रकार से पूर्ण) जमा करने के बाद, यदि कोई उम्मीदवार 'खाता बनाएं' (Create an Account)फॉर्म (ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सहित) में भरे गए विवरण को छोड़कर किसी भी विवरण को संशोधित, परिवर्तित या सही करना चाहता है वह प्रत्येक अवसर के लिए रुपये 250/- (गैर-वापसी योग्य) के संशोधन शुल्क का भुगतान करके 09.04.2024 से 18.04.2024 तक ऐसा कर सकता है। 'खाता बनाएं' (Create an Account)फॉर्म में भरे गए विवरण (ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सहित) और चुने गए आरआरबी को नहीं बदला जा सकता है।

- xi) 18.04.2024 के बाद, आरआरबी आवेदन में दी गई जानकारी में संशोधन के लिए किसी भी प्रस्तुति पर विचार नहीं करेगा।
- xii) डीवी और मेडिकल परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग उस आरआरबी के लिए रिक्तियों के 1:1 की दर से आरआरबी-वार की जाएगी। यह सीबीटी में उनकी योग्यता पर आधारित होगा। कई पालियों में आयोजित सीबीटी के लिए अंकों का सामान्यीकरण किया जाएगा। डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को डीवी में उपस्थित होने के लिए उनके ई-कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक आरआरबी वेबसाइटों के साथ-साथ एसएमएस और ईमेल (उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर) के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
- xiii) **नकारात्मक अंकन:** सीबीटी में नकारात्मक अंकन (प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक) होगा।
- xiv) **प्रतिबंधित वस्तुएँ:** प्रतिबंधित वस्तुएँ जैसे संचार उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स (मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, लैपटॉप, कैलकुलेटर, स्मार्ट घड़ियाँ, चूड़ियाँ, चेन, कंगन, श्रवण यंत्र, वॉलेट / पर्स, बेल्ट, जूते, धातु के वस्त्र आदि) या पेन/पेंसिल जैसी किसी भी स्टेशनरी वस्तु को ले जा रहे अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी उल्लंघन पर कानूनी कार्यवाई के अलावा अयोग्यता और भविष्य की भर्ती परीक्षाओं से वंचित किया जाएगा।
- xv) सामान को सुरक्षित रखने के लिए क्लॉक रूम की व्यवस्था परीक्षा स्थलों पर उपलब्ध नहीं हो सकती है। इसलिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन आदि सहित कोई भी मूल्यवान/प्रतिबंधित वस्तु न लाएं।

प्रामाणिक और समय पर जानकारी और अपडेट के लिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट देखें (नीचे para 14 (f) में सूचीबद्ध)। नकली वेबसाइटों से सावधान रहें - वे भ्रामक और गलत जानकारी दे सकते हैं।

1.0 सामान्य निर्देश:

- 1.1 भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में प्रवेश अनंतिम होगा, बशर्ते कि उम्मीदवार सभी निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों।
- 1.2 उम्मीदवारों को केवल ई-कॉल लेटर जारी करने का मतलब यह नहीं होगा कि उनकी उम्मीदवारी आरआरबी द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है।
- 1.3 आरआरबी पात्रता शर्तों का सत्यापन (मूल दस्तावेजों के संदर्भ में) तभी करते हैं जब उम्मीदवार परीक्षा के सभी चरणों में उत्तीर्ण हो जाते हैं और दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं। यदि उम्मीदवार अयोग्य पाया जाता है तो आरआरबी भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी आवेदक की उम्मीदवारी को अस्वीकार कर सकता है और यदि नियुक्त किया जाता है, तो ऐसे उम्मीदवार को सेवा से हटा दिया जाएगा।
- 1.4 इस अधिसूचना के तहत पद के लिए आवेदन करने से पहले, उम्मीदवारों को खुद को संतुष्ट करना चाहिए कि वे आयु, शैक्षिक योग्यता और चिकित्सा मानकों सहित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस सीईएन (CEN) के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक उनके पास मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से अपेक्षित तकनीकी योग्यताएं हैं। निर्धारित योग्यता के लिए अंतिम परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे लोग पात्र नहीं हैं और इसलिए उन्हें आवेदन नहीं करना चाहिए।
- 1.5 जो उम्मीदवार इस सीईएन (CEN) के लिए एक से अधिक आवेदन जमा करेंगे, उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा और आरआरबी और रेलवे भर्ती सेल (आरआरसी) की सभी भविष्य की परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा। इसी प्रकार, ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन जो सूचना और/या तथ्यों में मामूली बदलाव के साथ एक से अधिक रेलवे और/या एक ही रेलवे के लिए एकाधिक आवेदन जमा करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके आवेदन सरसरी तौर पर खारिज कर दिए जाएंगे और ऐसे अभ्यर्थियों को भविष्य की आरआरबी और आरआरसी की सभी परीक्षाओं से भी वंचित कर दिया जाएगा।
- 1.6 जो उम्मीदवार वर्तमान में किसी भी आरआरबी/आरआरसी द्वारा वंचित हैं, उन्हें इस अधिसूचना के लिए आवेदन नहीं करना चाहिए। भर्ती के किसी भी चरण के दौरान पता चलने पर उनकी उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी।
- 1.7 जिन उम्मीदवारों को भारत की केंद्र सरकार / राज्य सरकार / पीएसयू / किसी अन्य सरकारी संगठन द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, वे पात्र नहीं हैं और उन्हें आवेदन नहीं करना चाहिए।
- 1.8 उम्मीदवारों को अपना नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि जैसा मैट्रिक/एसएसएलसी/हाई स्कूल परीक्षा प्रमाणपत्र या समकक्ष प्रमाणपत्र में दर्ज है, वैसा ही दर्ज करनी चाहिए।
(ए) नाम में किसी भी बदलाव के मामले में, उम्मीदवारों को केवल अपना बदला हुआ नाम ही बताना चाहिए। हालाँकि, अन्य सभी विवरण मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाणपत्र से मेल खाने चाहिए। ऐसे परिवर्तन की तिथि या ऐसे परिवर्तन के लिए आवेदन ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि से पहले की होनी चाहिए।
(बी) राजपत्र अधिसूचना या ऐसे मामलों के लिए लागू कोई अन्य कानूनी दस्तावेज, दस्तावेज सत्यापन (डीवी) के समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- 1.9 सभी दस्तावेजों पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर एकरूप और एकसमान होने चाहिए। हस्ताक्षर चालू हस्तलिखित में होना चाहिए न कि बड़े/बड़े अक्षरों में या असंबद्ध अक्षरों में। विभिन्न हस्ताक्षरों के उपयोग के परिणामस्वरूप उम्मीदवारी अयोग्य हो सकती है।

- 1.10 सीबीएटी और डीवी की तिथियां पैरा 14 (एफ) में दिए गए अनुसार भाग लेने वाले आरआरबी की वेबसाइटों पर प्रकाशित की जाएंगी। सीबीएटी और डीवी (जैसा लागू हो) के लिए ई-कॉल लेटर केवल संबंधित आरआरबी की वेबसाइटों से डाउनलोड किए जाने चाहिए जैसा कि पैरा 14 (एफ) में दिया गया है। ई-कॉल लेटर में दर्शाया गया सीबीटी केंद्र, तारीख और शिफ्ट अंतिम होगी, और तारीख/समय/स्थान में बदलाव के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 1.11 सीईएन (CEN) में दर्शाई गई रिक्तियां अनंतिम हैं और संबंधित रेलवे प्रशासन की वास्तविक जरूरतों के आधार पर बाद के चरण में कुल या विशिष्ट समुदायों/इकाइयों में बढ़ या घट सकती हैं या शून्य भी हो सकती हैं। यदि रेलवे को आवश्यकता हुई तो बाद के चरण में अतिरिक्त पद भी शामिल किए जा सकते हैं। आरआरबी बिना कोई कारण बताए अतिरिक्त सीबीटी और/या सीबीएटी (जैसा लागू हो), अतिरिक्त डीवी आदि शुरू करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
- 1.12 रेलवे प्रशासन अपने विवेक से अधिसूचित रिक्तियों को रद्द करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है और ऐसा निर्णय अंतिम और सभी के लिए बाध्यकारी होगा। ऐसे रद्दीकरण की स्थिति में, सीबीटी में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को छोड़कर, उम्मीदवारों द्वारा भुगतान किया गया परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। (रिफंड की राशि के लिए पैरा 7.0 देखें)
- 1.13 नियुक्ति का अधिकार: आरआरबी द्वारा चयन उम्मीदवारों को रेलवे में नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं देता है। आरआरबी का कार्य केवल जोनल रेलवे के संबंधित अधिकारियों को उपयुक्त उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करना है, जो रिक्तियों की उपलब्धता और चरित्र के पूर्ववृत्त सहित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करने के आधार पर नियुक्ति की पेशकश जारी करते हैं। श्रेणी/पद/रेलवे का आवंटन पैनाल तैयार करने की तिथि पर उपलब्ध योग्यता/पद वरीयता/ मेडिकल फिटनेस /रिक्तियों के आधार पर होगा। आरआरबी द्वारा श्रेणी/पद/रेलवे के आवंटन के बाद, उम्मीदवार विशिष्ट उस वेतन स्तर के भीतर किसी अन्य पद/श्रेणी के लिए विचार किए जाने का अधिकार खो देते हैं।
- 1.14 तकनीशियन पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को जहां भी निर्धारित हो, प्रशिक्षण लेना होगा और प्रशिक्षण अवधि के दौरान केवल वजीफा का भुगतान किया जाएगा।
- 1.15 चयनित उम्मीदवार जहां भी आवश्यक हो, सुरक्षा और/या क्षतिपूर्ति बांड निष्पादित करेंगे।
- 1.16 **पोस्टिंग:** आम तौर पर, एक रेलवे कर्मचारी को पूरी सेवा के दौरान रेलवे या रेलवे प्रतिष्ठान में नियोजित किया जाएगा जिसमें उसे पहली नियुक्ति पर तैनात किया गया है और उसके पास किसी अन्य रेलवे या किसी अन्य प्रतिष्ठान में स्थानांतरण के अधिकार के रूप में कोई दावा नहीं होगा। हालांकि, एक सक्षम प्राधिकारी सेवा की अत्यावश्यकताओं में रेलवे कर्मचारी को किसी अन्य विभाग या रेलवे प्रतिष्ठान में स्थानांतरित कर सकता है, जिसमें भारत के अंदर या बाहर की परियोजना भी शामिल है। जब तक नवनियुक्त उम्मीदवार **कम से कम 5 से 10 वर्ष की सेवा पूरी नहीं कर लेता**, तब तक अन्य रेलवे में स्थानांतरण के लिए कोई अनुरोध पंजीकृत नहीं किया जाएगा। इस प्रकार उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे उचित सावधानी और विचार-विमर्श के साथ अपना आरआरबी चुनें।
- 1.17 चयनित उम्मीदवार, जिन्हें अंतिम रूप से नियुक्त किया गया है, प्रादेशिक सेना की रेलवे इंजीनियर्स यूनिट में सक्रिय सेवा के लिए उत्तरदायी हैं।
- 1.18 **निःशुल्क ट्रेन यात्रा सुविधा:** एससी और एसटी उम्मीदवारों (अनुरोध पर) के लिए स्वीकार्य निःशुल्क स्लीपर क्लास रेलवे पास, चयन के विभिन्न चरणों अर्थात् सीबीटी/सीबीएटी/डीवी/मेडिकल परीक्षा (जैसा लागू हो) के लिए उनके ऑनलाइन आवेदन में दिए गए विवरण और वैध जाति प्रमाण पत्र के अनुसार, उनके ई-कॉल लेटर के साथ प्रदान किया जाएगा। ट्रेन आरक्षण बुक करते समय और यात्रा करते समय, उम्मीदवार की वास्तविकता के सत्यापन के लिए मूल एससी और एसटी समुदाय प्रमाण पत्र संबंधित अधिकृत रेलवे कर्मचारियों को दिखाना होगा। इस मुफ्त यात्रा सुविधा के किसी भी दुरुपयोग से चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया जाएगा, जिसमें भविष्य की परीक्षाओं के लिए रोक भी शामिल है।
- 1.19 आरआरबी सीईएन (CEN) के तहत आवश्यकतानुसार और किसी भी स्तर पर लागू भर्ती के किसी भी नियम और शर्तों को बदलने/संशोधित करने/जोड़ने/हटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 1.20 आरआरबी, उम्मीदवारों की सहमति से, इस भर्ती में प्राप्त उनके अंक (अंक) अन्य मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और निजी संगठनों के साथ उनकी भर्ती के लिए साझा कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में इसके लिए अपनी सहमति/इनकार का उल्लेख करना चाहिए।
- 1.21 उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से काफी पहले अपना ऑनलाइन आवेदन जमा करें और अंतिम समय की किसी भी भीड़ से बचें। अंतिम दिनों के दौरान भारी इंटरनेट या वेबसाइट ट्रैफिक की संभावना के कारण इस सावधानी की अनुशंसा की जाती है।

उम्मीदवारों के लिए हेल्पलाइन: सीईएन (CEN) के आवेदन जमा करने से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए (10:00 AM to 5:00 PM सभी कार्य दिवसों पर)

Email: rrbhelp@csc.gov.in

फ़ोन:9592001188

यदि उम्मीदवार किसी भी कारण से अंतिम तिथि के भीतर अपना ऑनलाइन आवेदन जमा नहीं कर पाते हैं तो आरआरबी जिम्मेदार नहीं होगा।

2.0 रिक्तियां: कृपया ध्यान दें कि ये रिक्तियां रेलवे प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार बढ़ या घट सकती हैं (संशोधित रिक्ति तालिका तदनुसार प्रकाशित की जाएगी)। इस सीईएन (CEN) में विभिन्न पदों के पैरामीटर (यानी, योग्यता, चिकित्सा मानक और पीडब्ल्यूबीडी के लिए पद की उपयुक्तता आदि) **अनुलग्नक A** में हैं और आरआरबी-वार रिक्तियां **अनुलग्नक B** में हैं।

3.0 मेडिकल फिटनेस के मानक: डीवी के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को रेलवे प्रशासन द्वारा आयोजित अपेक्षित मेडिकल फिटनेस टेस्ट पास करना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे पद से जुड़े कर्तव्यों को पूरा करने के लिए शारीरिक रूप से फिट हैं। दृश्य तीक्ष्णता मानक रेलवे सेवा के लिए एक महत्वपूर्ण चिकित्सा फिटनेस है। विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग चिकित्सा मानकों के अनुसार चिकित्सा आवश्यकताएँ नीचे दी गई हैं:

क्रमांक	चिकित्सा मानक	सामान्य फिटनेस	दृष्टि मानक
1	ए-3	शारीरिक रूप से हर तरह से फिट	i) दूर दृष्टि: चश्मे के साथ या उसके बिना 6/9, 6/9 (लेंस की शक्ति 2डी से अधिक नहीं), ii) निकट दृष्टि: एसएन: 0.6, 0.6 चश्मे के साथ या चश्मे के बिना, और iii) कलर विजन, दूरबीन विजन, नाइट विजन और मेसोपिक विजन के लिए टेस्ट पास करना होगा
2	बी 1	शारीरिक रूप से हर तरह से फिट	i) दूर दृष्टि: 6/9, 6/12 चश्मे के साथ या बिना चश्मे के (लेंस की क्षमता 4डी से अधिक नहीं), ii) निकट दृष्टि: एसएन: 0.6, 0.6 चश्मे के साथ या बिना जब पढ़ना या बंद काम करना आवश्यक हो, और iii) कलर विजन, दूरबीन विजन, नाइट विजन और मेसोपिक विजन के लिए टेस्ट पास करना होगा।
3	बी 2	शारीरिक रूप से हर तरह से फिट	i) दूर दृष्टि: चश्मे के साथ या उसके बिना 6/9, 6/12 (लेंस की क्षमता 4डी से अधिक नहीं होनी चाहिए)। ii) निकट दृष्टि: एसएन: 0.6, 0.6 चश्मे के साथ या बिना जब पढ़ना या बंद काम करना आवश्यक हो, और iii) दूरबीन दृष्टि के लिए परीक्षण पास करना होगा।

टिप्पणी:

(ए) उपरोक्त चिकित्सा मानक सांकेतिक हैं और संपूर्ण नहीं हैं और सामान्य रूप से उम्मीदवारों पर लागू होते हैं। विवरण के लिए, उम्मीदवारों को भारतीय रेलवे मेडिकल मैनुअल (आईआरएमएम) खंड-1 के अध्याय 5 को पढ़ने की सलाह दी जाती है। जिसे www.Indianrailways.gov.in पर एक्सेस किया जा सकता है। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे पद के लिए निर्धारित चिकित्सा मानकों के अनुसार चिकित्सकीय रूप से फिट और पात्र हैं।

(बी) जिन उम्मीदवारों ने दुर्दम्य त्रुटि को ठीक करने के लिए LASIK सर्जरी या किसी अन्य सर्जिकल प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है, वे उन पदों के लिए पात्र नहीं हैं जिनके लिए मेडिकल मानक A3 की आवश्यकता होती है।

(सी) भारतीय रेलवे मेडिकल मैनुअल (आईआरएमएम) खंड-1 के पैरा 534 में वर्णित अनुसार पूर्व सैनिकों के लिए मेडिकल मानक अलग-अलग हैं। जिसे www.Indianrailways.gov.in पर एक्सेस किया जा सकता है।

4.0 राष्ट्रीयता/नागरिकता:

(ए) एक उम्मीदवार को या तो होना चाहिए:

- (i) भारत का नागरिक, या
- (ii) नेपाल का नागरिक, या
- (iii) भूटान का विषय, या

(iv) एक तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से 01.01.1962 से पहले भारत आया था, या

(v) भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, ज़ैरे, इथियोपिया और वियतनाम से आया हो। .

(vi) बशर्ते कि उपरोक्त श्रेणियों (ii), (iii), (iv) और (v) से संबंधित उम्मीदवार वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

(बी) जिस उम्मीदवार के मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक है, उसे अनंतिम रूप से परीक्षा में शामिल किया जा सकता है। हालाँकि, भारत सरकार द्वारा जारी पात्रता प्रमाणपत्र दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उसकी उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी।

5.0 आयु सीमा:

पद	सामान्य रूप से निर्धारित आयु (01.07.2024 को)	इस CEN के लिए लागू आयु (01.07.2024 को) *
तकनीशियन ग्रेड- I (सिग्नल) के लिए	18 से 33 वर्ष	18 से 36 वर्ष
तकनीशियन ग्रेड-III	18 से 30 वर्ष	18 से 33 वर्ष

* ऐसे कई उम्मीदवार, जो आयु सीमा पार कर चुके हैं और कोविड-19 महामारी के कारण रेलवे भर्ती में भाग लेने का अवसर चूक गए हैं, उनको राहत देने के लिए, तकनीशियन पदों के लिए आयु सीमा, निर्धारित ऊपरी सीमा से 3 वर्ष की एकमुश्त छूट देने का निर्णय लिया गया है।

5.1 नीचे दी गई तालिकाओं में निम्नलिखित श्रेणियों/समुदायों के लिए ऊपरी आयु सीमा/अधिकतम ऊपरी आयु में आयु में छूट अपेक्षित प्रमाणपत्र जमा करने के पर लागू है।

तालिका 1: तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल के लिए (7वें सीपीसी के तहत वेतन स्तर 5)

(छूट आयु समूह: 18- 36 वर्ष)

क्रम संख्या	समुदाय/श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा में छूट / अधिकतम ऊपरी आयु
1	SC & ST उम्मीदवार	5 साल
2	OBC (Non-Creamy Layer) उम्मीदवार	3 साल
3	Ex-servicemen अभ्यर्थी जिन्होंने सत्यापन के बाद छह महीने से अधिक की सेवा पूरी कर ली हो	Ex-servicemen (यूआर & ई डब्लू एस) 3 वर्ष (आयु से सेवा की अवधि घटाने के बाद) Ex-servicemen (ओबीसी (एनसीएल)) 6 वर्ष (आयु से सेवा की अवधि घटाने के बाद) Ex-servicemen (एससी और एसटी) 8 वर्ष (आयु से सेवा की अवधि घटाने के बाद)
4	बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति (PwBD)	पीडब्ल्यूबीडी - यूआर & ई डब्लू एस 10 वर्ष पीडब्ल्यूबीडी -ओबीसी (एनसीएल) 13 वर्ष पीडब्ल्यूबीडी - एससी और एसटी 15 वर्ष
5	वे अभ्यर्थी जो रेलवे में ग्रुप 'सी' और पूर्व ग्रुप 'डी' रेलवे	यूआर & ई डब्लू 40 साल की उम्र

	स्टाफ में न्यूनतम 3 साल की सेवा के साथ-साथ निरंतर या अलग- अलग समय में न्यूनतम 3 साल की सेवा के साथ सेवारत हैं।	एस	
		ओबीसी (एनसीएल)	43 साल की उम्र
		एससी और एसटी	45 साल की उम्र
6	उम्मीदवार जो रेलवे संगठन के अर्ध-प्रशासनिक कार्यालयों जैसे रेलवे कैंटीन, सहकारी समितियों और संस्थानों में काम कर रहे हैं		प्रदान की गई सेवा की अवधि तक या 5 वर्ष, जो भी कम हो.

**तालिका 2: तकनीशियन ग्रेड III के लिए (7वें सीपीसी के तहत वेतन स्तर 2)
(छूट आयु समूह: 18- 33 वर्ष)**

क्रम संख्या	समुदाय/श्रेणी		ऊपरी आयु सीमा में छूट / अधिकतम ऊपरी आयु
1	एससी और एसटी उम्मीदवार		5 साल
2	ओबीसी (एनसीएल) उम्मीदवार		3 साल
3	Ex-servicemen अभ्यर्थी जिन्होंने सत्यापन के बाद छह महीने से अधिक की सेवा पूरी कर ली हो	Ex-servicemen (यूआर & ई डब्लू एस)	3 वर्ष (आयु से सेवा की अवधि घटाने के बाद)
		Ex-servicemen (ओबीसी -एनसीएल)	6 वर्ष (आयु से सेवा की अवधि घटाने के बाद)
		Ex-servicemen एससी और एसटी	8 वर्ष (आयु से सेवा की अवधि घटाने के बाद)
4	बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति (PwBD)	पीडब्ल्यूबीडी - (यूआर & ई डब्लू एस)	10 वर्ष
		पीडब्ल्यूबीडी- ओबीसी (एनसीएल)	13 वर्ष
		पीडब्ल्यूबीडी - एससी और एसटी	15 वर्ष
5	वे अभ्यर्थी जो रेलवे में ग्रुप 'सी' और पूर्व ग्रुप 'डी' रेलवे स्टाफ में न्यूनतम 3 साल की सेवा के साथ-साथ निरंतर या अलग- अलग समय में न्यूनतम 3 साल की सेवा के साथ सेवारत हैं।	(यूआर & ई डब्लू एस)	40 साल की उम्र
		ओबीसी (एनसीएल)	43 साल की उम्र
		एससी और एसटी	45 साल की उम्र
6	उम्मीदवार जो रेलवे संगठन के अर्ध-प्रशासनिक कार्यालयों जैसे रेलवे कैंटीन, सहकारी समितियों और संस्थानों में काम कर रहे हैं		प्रदान की गई सेवा की अवधि तक या 5 वर्ष, जो भी कम हो।
7	महिला उम्मीदवार, जो विधवा हैं, तलाकशुदा हैं या न्यायिक रूप से पति से अलग हैं लेकिन पुनर्विवाह नहीं किया है।	(यूआर & ई डब्लू एस)	35 साल की उम्र
		ओबीसी (एनसीएल)	38 साल की उम्र
		एससी और एसटी	40 साल की उम्र
8	कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिस जो उस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं जिसके लिए न्यूनतम योग्यता आईटीआई/कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप है।		प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के तहत उनके द्वारा किए गए प्रशिक्षु प्रशिक्षण की सीमा तक छूट दी जाएगी। (अधिकतम 3 वर्ष)
9	कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिस जो 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले, प्रशिक्षुता अधिनियम के तहत अपनी प्रशिक्षुता शुरू कर दी है।	(यूआर & ई डब्लू एस)	35 साल की उम्र
		ओबीसी (एनसीएल)	38 साल की उम्र
		एससी और एसटी	40 साल की उम्र

5.2 उम्मीदवारों की जन्म तिथि नीचे दी गई तिथियों के बीच होनी चाहिए: (दोनों तिथियां सम्मिलित)

आयु वर्ग (वर्षों में)	जन्मतिथि की ऊपरी सीमा (इससे पहले नहीं)			जन्मतिथि की निचली सीमा (बाद में नहीं)
	UR & EWS	OBC (NCL)	SC & ST	सभी उम्मीदवार
18 - 36	02.07.1988	02.07.1985	02.07.1983	01.07.2006
18 - 33	02.07.1991	02.07.1988	02.07.1986	01.07.2006

i) यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक आधार पर आयु में छूट के लिए पात्र है, तो उसे उन सभी छूटों में से अधिकतम छूट मिलेगी जिसके लिए वह पात्र है (संचयी नहीं)।

ii) यूआर रिक्तियों के खिलाफ आवेदन करने वाले एससी, एसटी और ओबीसी (एनसीएल) उम्मीदवारों को आयु में कोई छूट नहीं मिलेगी।

iii) यूआर रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को केवल पीडब्ल्यूबीडी (यूआर) के लिए लागू आयु में छूट दी जाएगी - उपयुक्तता की शर्तों के अधीन।

iv) PwBD और ExSM उम्मीदवारों को आयु में छूट उपरोक्त पैरा 5.1 के अनुसार दी जाएगी।

5.3 महत्वपूर्ण: उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि उनके आवेदन में भरी गई जन्मतिथि वही होनी चाहिए जो उनके मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी या समकक्ष प्रमाण पत्र में दर्ज है। जन्मतिथि में बदलाव के किसी भी बाद के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। **जन्मतिथि में कोई भी अंतर होने पर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।**

6.0 शैक्षणिक योग्यताएं:

(ए) कृपया प्रत्येक पद के लिए निर्धारित योग्यता के लिए अनुलग्नक-ए देखें।

(बी) ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि (यानी, 08.04.2024) तक उम्मीदवारों के पास पहले से ही मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से सीईएन (CEN) में निर्धारित शैक्षिक/तकनीकी योग्यता होनी चाहिए।

(सी) निर्धारित शैक्षिक/तकनीकी योग्यता की अपनी अंतिम परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को आवेदन नहीं करना चाहिए।

(डी) वेतन स्तर -2 में तकनीशियनों के पद के लिए पाठ्यक्रम पूर्ण अधिनियम अपरेंटिस/आईटीआई के बदले इंजीनियरिंग में डिप्लोमा/डिग्री स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो। कोर्स कम्प्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप (सीसीएए) के बदले में ग्रेजुएट एक्ट अप्रेंटिस स्वीकार नहीं किया जाएगा।

7.0 परीक्षा शुल्क: उम्मीदवारों को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अपने समुदाय/श्रेणी के अनुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा:

क्रम संख्या	अभ्यर्थियों की श्रेणियाँ/समुदाय	शुल्क(Fee)
1	सभी उम्मीदवारों के लिए (क्रम संख्या 2 पर नीचे उल्लिखित श्रेणियों को छोड़कर)। CBT में उपस्थित होने पर 500/- रुपये के इस शुल्क में से 400/- रुपये की राशि बैंक शुल्क काटकर वापस कर दी जाएगी।	500/- रुपये
2	उन उम्मीदवारों के लिए जो SC,ST, Ex-Servicemen, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक या Economically Backward Class (EBC) से संबंधित हैं। (उम्मीदवारों के लिए सावधानी: ईबीसी (EBC) को ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए) 250/- रुपये का यह शुल्क CBT में उपस्थित होने पर, लागू बैंक शुल्कों की कटौती के साथ वापस कर दिया जाएगा।	250/- रुपये

ध्यान दें: 1) प्रत्येक वेतन स्तर के लिए लागू परीक्षा शुल्क का भुगतान भी अलग से करना आवश्यक है।

2) केवल सीबीटी में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को ऊपर बताए अनुसार उनके परीक्षा शुल्क का रिफंड मिलेगा।

7.1 शुल्क भुगतान के तरीके:

ए) केवल इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क भुगतान स्वीकार किया जाएगा। सभी लागू सेवा शुल्क उम्मीदवार द्वारा वहन किए जाएंगे।

बी) उम्मीदवारों द्वारा शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जा सकता है। किसी अन्य माध्यम से शुल्क का भुगतान करने का कोई विकल्प नहीं होगा।

सी) निर्धारित शुल्क के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

7.2 अल्पसंख्यकों में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी (पारसी) शामिल होंगे, जो ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि (08.04.2024) तक प्राप्त संशोधन/विलोपन/समावेशन, यदि कोई हो, के अधीन होंगे।

'अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा' के लिए शपथ पत्र: परीक्षा शुल्क की छूट का दावा करने वाले अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को गैर-न्यायिक स्टॉप पेपर पर डीवी के समय अनुलग्नक V के प्रारूप में अपने अल्पसंख्यक समुदाय का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

7.3 आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी-EBC) के उम्मीदवार वे हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 50,000 रुपये से कम है और वे रियायती शुल्क के लिए पात्र हैं (उपरोक्त पैरा 7.0 के अनुसार)। इसके लिए उनके पास होना चाहिए:

ए) जारीकर्ता प्राधिकारी के लेटरहेड पर निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक III ए पर) में आवेदन की तिथि पर वैध आय प्रमाण पत्र। निम्नलिखित प्राधिकारी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के उद्देश्य से आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत हैं:

- (1) जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार स्तर तक का कोई अन्य राजस्व अधिकारी
- (2) अपने निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए लोकसभा के मौजूदा संसद सदस्य
- (3) उस जिले के व्यक्तियों के लिए राज्य सभा के मौजूदा संसद सदस्य, जहां ये सांसद सामान्य रूप से रहते हैं।
- (4) केन्द्रीय मंत्री देश में कहीं से भी कोई भी व्यक्ति के लिए।

(या)

बी) बीपीएल कार्ड या किसी मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी कोई अन्य प्रमाण पत्र

(या)

सी) रेलवे द्वारा जारी Izzat MST

सभी ईबीसी (EBC) उम्मीदवार जो रियायती शुल्क चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन में वैध ईबीसी (EBC) प्रमाण पत्र/बीपीएल कार्ड/इज्जत एमएसटी के प्रासंगिक विवरण भरने चाहिए और डीवी के समय इसे मूल रूप में भी जमा करना होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी।

ध्यान दें: ईबीसी (EBC) और ईडब्ल्यूएस (EWS) अलग-अलग श्रेणियां हैं और ईबीसी (EBC) को ओबीसी (OBC) के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। ईबीसी (EBC) उम्मीदवारों को पता होना चाहिए कि वे केवल शुल्क रियायत के हकदार हैं, नौकरी में आरक्षण के नहीं।

7.4 परीक्षा शुल्क की वापसी (सीबीटी में भाग लेने वालों के लिए):

(ए) सभी उम्मीदवारों को अपने परीक्षा शुल्क का वापसी योग्य हिस्सा (यानी, रु. 400/- या रु. 250/- जैसा लागू हो, बैंक शुल्क घटाकर) प्राप्त करने के लिए उनके आवेदन पत्र में बैंक विवरण (बैंक का नाम, खाता धारक का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी (IFSC) कोड) का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा।।

(बी) सही बैंक खाता विवरण प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी उम्मीदवारों पर है और आरआरबी इस आधार पर उम्मीदवारों से किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं करेगा।

(सी) गलत, अपूर्ण या अस्वीकृत आवेदनों के लिए परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

8.0 लंबवत आरक्षण:

8.1 यह सीईएन (CEN) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस-EWS), अनुसूचित जाति (एससी-SC), अनुसूचित जनजाति (एसटी-ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर) (ओबीसी-एनसीएल-OBC-NCL) के लिए मौजूदा नियमों के तहत जहां भी लागू और स्वीकार्य हो और जैसा कि इंडेंटिंग रेलवे द्वारा सूचित किया गया है, लंबवत आरक्षण प्रदान करता है। (रिक्ति तालिका में विवरण देखें।) केवल वे समुदाय जिन्हें भारत सरकार द्वारा एससी, एसटी और ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) के रूप में मान्यता प्राप्त है, आरक्षण के लिए पात्र हैं।

नोट: ईबीसी (EBC) और ईडब्ल्यूएस (EWS) अलग-अलग श्रेणियां हैं। ईबीसी (EBC) उम्मीदवार किसी भी नौकरी आरक्षण के हकदार नहीं हैं।

8.2 समुदाय की परवाह किए बिना सभी उम्मीदवारों को सामान्य यानी unreserved (UR) रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा (UR के लिए आवश्यक पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन)। हालांकि, विशिष्ट समूहों [जैसे, SC, ST, OBC (NCL) & EWS] के लिए आरक्षित रिक्तियां केवल उस समुदाय/श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा भरी जाएंगी।

8.3 इसलिए, एससी, एसटी, ओबीसी-एनसीएल और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार जो अपेक्षित शैक्षिक/तकनीकी योग्यताएं पूरी करते हैं, वे यूआर रिक्तियों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें आयु, योग्यता या अंक, आदि में किसी छूट / रियायत के बिना सामान्य (अनारक्षित) उम्मीदवारों के रूप में प्रतिस्पर्धा करनी होगी। किसी भी स्थिति में, उम्मीदवारों को आवेदन में अपने वास्तविक समुदाय को इंगित करने की सलाह दी जाती है।

8.4 आरक्षण का लाभ उठाने के लिए, ईडब्ल्यूएस (EWS), एससी, एसटी और ओबीसी-एनसीएल उम्मीदवारों को डीवी के दौरान आवश्यक प्रमाण पत्र (मूल रूप में) प्रस्तुत करना होगा। प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुलग्नक-I (एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए), अनुलग्नक-II (ओबीसी-एनसीएल उम्मीदवारों के लिए) और अनुलग्नक-III (ईडब्ल्यूएस (EWS) उम्मीदवारों के लिए) में दिए गए प्रारूप के अनुसार जारी किए जाने चाहिए।

8.5 OBC-NCL उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र में विशेष रूप से उल्लेख होना चाहिए कि "यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था. की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है। (एससीटी) दिनांक 08/09/93 और भारत सरकार के डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013-स्था.(आरईएस.) दिनांक 13/09/2017 द्वारा संशोधित* (*इस CEN के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्राप्त अतिरिक्त संशोधन, यदि कोई हो)

8.6 ओबीसी आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास जाति/समुदाय प्रमाणपत्र है और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर वह क्रीमी लेयर में नहीं आता है। डीवी के दौरान, ऐसे उम्मीदवारों को अपना मूल ओबीसी-एनसीएल प्रमाणपत्र (निर्धारित प्रारूप में) प्रस्तुत करना चाहिए जो आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के अनुसार वैध है, और एक स्व-घोषणा पत्र (अनुलग्नक II ए में दिए गए प्रारूप में) भी प्रस्तुत करना चाहिए, जिसमें कहा गया हो कि वे क्रीमी लेयर से संबंधित "नहीं" हैं। अन्यथा, आरक्षण के लिए उनका दावा (ओबीसी-एनसीएल के रूप में) स्वीकार नहीं किया जाएगा और इसके बजाय, उन्हें सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन केवल यूआर उम्मीदवारों के रूप में माना जा सकता है।

8.7 महत्वपूर्ण: इस CEN के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर समुदाय/श्रेणी की स्थिति पर केवल पात्रता के अनुसार आरक्षण और संबंधित लाभों के लिए विचार किया जाएगा। इसके बाद इस स्थिति में किसी भी बदलाव पर विचार नहीं किया जाएगा।

8.8 ईडब्ल्यूएस (EWS) (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) आरक्षण:

वे उम्मीदवार जो SC/ST/OBC-NCL के लिए आरक्षण की योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं और जिनकी पारिवारिक सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपये (आठ लाख रुपये) से कम है, उन्हें EWS के रूप में पहचाना जाएगा। EWS के रूप में पहचाने जाने वालों को ही EWS आरक्षण का लाभ मिलेगा। आय में आवेदन के वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष के लिए सभी स्रोतों यानी वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि से आय भी शामिल होगी। इसके अलावा, जिन उम्मीदवारों के परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति है या उनके पास है, उन्हें परिवार की आय की परवाह किए बिना EWS के रूप में मान्यता देने से बाहर रखा जाएगा:

- 5 एकड़ और उससे अधिक कृषि भूमि;
- 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय प्लैट;
- अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
- अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

ईडब्ल्यूएस (EWS) स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति स्वामित्व परीक्षण लागू करते समय एक परिवार द्वारा विभिन्न स्थानों या विभिन्न स्थानों/शहरों में रखी गई संपत्ति को जोड़ा जाएगा। इस प्रयोजन के लिए परिवार शब्द में वह व्यक्ति शामिल होगा जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन, साथ ही उसका जीवनसाथी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल होंगे। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ईडब्ल्यूएस (EWS) के तहत आरक्षण का लाभ उठाया जा सकता है। अनुलग्नक III में दिए गए निर्धारित प्रारूप में निम्नलिखित अधिकारियों में से किसी एक द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाणपत्र केवल ईडब्ल्यूएस (EWS) से संबंधित उम्मीदवार के दावे के रूप में स्वीकार किया जाएगा:

क) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट/उपविभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त

ख) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट

ग) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो

घ) उस क्षेत्र का उपमंडल अधिकारी जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।

ईडब्ल्यूएस (EWS) के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास इस सीईएन (CEN) के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक आय और संपत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए। तदनुसार, उन्हें ऑनलाइन आवेदन में प्रमाणपत्र संख्या, प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख, जारी करने वाला प्राधिकारी, जिला और जारी करने का राज्य भरना होगा। इसके अलावा, इन उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान वैध आय और संपत्ति प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। इन शर्तों का अनुपालन न करने की स्थिति में, ईडब्ल्यूएस (EWS) के तहत आरक्षित स्थिति के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी/आवेदन, यदि सामान्य (यूआर) श्रेणी के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, तो केवल सामान्य (यूआर) रिक्तियों के तहत विचार किया जाएगा।)

9.0 क्षैतिज आरक्षण:

9.1 यह सीईएन (CEN) पूर्व सैनिकों (Ex-Serviceman) और पीडब्ल्यूबीडी (PwBD) के लिए उनके सामाजिक समुदाय की परवाह किए बिना क्षैतिज आरक्षण भी प्रदान करता है।

9.2 रिक्ति तालिका में दर्शाई गई कुल रिक्तियों में ExSM और PwBD के लिए आरक्षित रिक्तियां भी शामिल हैं। हालाँकि, जहाँ PwBD के लिए रिक्तियों को बैकलॉग रिक्तियों (समुदाय के किसी भी संकेत के बिना) के रूप में अलग से दिखाया गया है, ये अतीत की बैकलॉग रिक्तियाँ हैं और इस CEN में दर्शाई गई नियमित सामुदायिक रिक्तियों में शामिल नहीं हैं।

9.3 पूर्वएसएम उम्मीदवार किसी भी पद की अनारक्षित रिक्तियों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं जो विशेष रूप से उनके लिए निर्धारित नहीं हैं। वे इन पदों के लिए आवेदन करते समय आयु सीमा में छूट और शुल्क में छूट के पात्र होंगे।

9.4 इसी प्रकार, PwBD उम्मीदवार किसी भी पद की अनारक्षित रिक्तियों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं जो विशेष रूप से उनके लिए निर्धारित नहीं हैं, लेकिन पद को उनकी विकलांगता के लिए उपयुक्त दर्शाया जाना चाहिए। वे इन पदों के लिए आवेदन करते समय आयु सीमा में छूट और शुल्क में छूट के पात्र होंगे।

9.5 यदि विकलांगता की श्रेणी के तहत उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से PwBD के लिए आरक्षित रिक्तियां नहीं भरी जा सकती हैं, तो ऐसी रिक्तियां नहीं भरी जाएंगी और उन्हें बैकलॉग रिक्ति के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा।

9.6 **नोट:** हालाँकि, इस सीईएन (CEN) में दर्शाई गई बैकलॉग रिक्तियों के लिए, यदि किसी विशिष्ट विकलांगता वाले PwBD उम्मीदवार (जिनके लिए बैकलॉग रिक्तियां निर्धारित हैं) उपलब्ध नहीं हैं, तो इन्हें अन्य विकलांगता वाले PwBD उम्मीदवारों द्वारा भरा जा सकता है, जिनके लिए पद उपयुक्त है। इसके बाद, किसी भी विकलांगता वाले पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार (जिसके लिए पद उपयुक्त के रूप में पहचाना गया है) की अनुपलब्धता के मामले में, रिक्त बैकलॉग रिक्तियों को योग्यता के क्रम में उस सीमा तक नियमित (गैर-पीडब्ल्यूबीडी) उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा।

10.0 भूतपूर्व सैनिक:

10.1 भूतपूर्व सैनिक शब्द का अर्थ वह व्यक्ति है जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौसेना या वायु सेना में किसी भी रैंक (चाहे लड़ाकू या गैर-लड़ाकू के रूप में) में सेवा की हो, लेकिन इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जिसने Defence Security Corps., the General Reserve Engineering Force, the Lok Sahayak Sena and the Para Military Forces में सेवा की हो।

और

(ए) जो या तो सेवानिवृत्त हो गया है या ऐसी सेवा से मुक्त या मुक्त हो गया है, चाहे वह अपने अनुरोध पर या अपनी पेंशन अर्जित करने के बाद नियोक्ता द्वारा कार्यमुक्त किया गया हो; (या)

(बी) जिसे सैन्य सेवा या उसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर ऐसी सेवा से मुक्त कर दिया गया है और चिकित्सा या अन्य विकलांगता पेंशन से सम्मानित किया गया है; (या)

(सी) जिसे स्थापना में कमी के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से मुक्त कर दिया गया है; (या)

(डी) जिसे सेवाकार्य की विशिष्ट अवधि पूरी करने के बाद, अपने स्वयं के अनुरोध के अलावा, या कदाचार या अक्षमता के कारण बर्खास्तगी, या सेवामुक्ति के माध्यम से ऐसी सेवा से मुक्त कर दिया गया है और उसे ग्रेच्युटी दी गई है; और इसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक शामिल हैं, अर्थात्, निरंतर सन्निहित सेवा या अर्हक सेवा के टूटे हुए दौर के लिए पेंशन धारक; (या)

(ई) सेना डाक सेवा के कार्मिक (Army Postal Service) जो नियमित सेना का हिस्सा हैं और पेंशन के साथ अपनी मूल सेवा में वापसी के बिना सेना डाक सेवा से चिकित्सा आधार पर मुक्त किए गए हैं या उनके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण सेवानिवृत्त हुए हैं या चिकित्सा या अन्य विकलांगता के कारण, पेंशन प्रदान की गई; (या)

(एफ) कार्मिक जो 14 अप्रैल 1987 से पहले छह महीने से अधिक समय तक सेना डाक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर थे; (या)

(जी) प्रादेशिक सेना के कर्मियों सहित सशस्त्र बलों के वीरता पुरस्कार विजेता; (या)

(हेच) भूतपूर्व रंगरूट (Ex-recruits) चिकित्सा आधार पर बाहर कर दिया गया या कार्यमुक्त कर दिया गया और दिनांक 01.02.2006 से चिकित्सा विकलांगता पेंशन प्रदान की गई।

10.2 संघ के सशस्त्र बलों में सेवारत व्यक्ति, जो सेवा से सेवानिवृत्ति पर **पूर्व सैनिकों** की श्रेणी में आते हैं, सेवाकार्य की विशिष्ट शर्तों के पूरा होने से एक वर्ष पहले पुनः रोजगार के लिए आवेदन करने और उपलब्ध सभी रियायतों का लाभ उठाने के पात्र हैं। **पूर्व सैनिकों** को, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को तब तक वर्दी छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि वे संघ के सशस्त्र बलों में नियुक्ति की विशिष्ट शर्तों को पूरा नहीं कर लेते।

10.3 तदनुसार, ऐसे सेवारत रक्षा कर्मी जिन्हें सीईएन (CEN) के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के एक वर्ष के भीतर (यानी, 07.04.2025 को या उससे पहले) रिहा किया जाना है, वे, भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित रिक्तियों और उनके लिए आरक्षित नहीं किए गए पदों, दोनों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, उनके पास इस CEN के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि (यानी, 08.04.2024) तक निर्धारित शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए।

10.4 पूर्व सैनिकों उम्मीदवार जो पहले से ही केंद्र सरकार के तहत समूह 'सी/पूर्व समूह 'डी' (पीएसयू, स्वायत्त निकाय/सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक आदि सहित (Group 'C/ erstwhile Group 'D' (PSUs, Autonomous Bodies/Statutory Bodies, Nationalized Banks, etc.) में कार्यरत हैं, **पूर्व सैनिकों** को दिए गए लाभों का लाभ उठाने के बाद, वे केवल केंद्र सरकार के तहत ग्रुप 'सी/ पूर्ववर्ती ग्रुप 'डी' (Group 'C/ erstwhile Group 'D') में उच्च ग्रेड या कैडर में एक और नागरिक रोजगार हासिल करने के लिए पूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आयु में छूट का लाभ दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों को केंद्र सरकार की नौकरियों में भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित रिक्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

10.5 यदि कोई पूर्व सैनिक किसी भी सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करता है, तो वह किसी भी बाद के रोजगार के लिए पूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठा सकता है, बशर्ते कि एक पूर्व सैनिक किसी भी सिविल रोजगार में शामिल होते ही रोजगार, को इस सीईएन (CEN) के लिए आवेदन के विवरण के बारे में संबंधित नियोक्ता को स्व-घोषणा/वचनपत्र देना चाहिए। सिविल नियोक्ता से एनओसी के साथ इस घोषणा की स्वीकृत प्रति डीवी के दौरान प्रस्तुत की जानी चाहिए, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा, यह लाभ केवल उन रिक्तियों के संबंध में उपलब्ध होगा जो सीधी भर्ती से भरी गई हैं और जहां भी पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण लागू है।

10.6 पूर्व सैनिक का मेडिकल मानक भारतीय रेलवे मेडिकल मैनुअल (आईआरएमएम) वॉल्यूम I के पैरा 534 के अनुसार होगा, जिसे www.Indianrailways.gov.in पर देखा जा सकता है।

11.0 बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति (PwBD):

11.1 इस भर्ती के प्रयोजन के लिए विकलांगता की श्रेणियाँ (न्यूनतम 40% विकलांगता के अधीन) नीचे दी गई हैं:

(ए) VI - दृश्य हानि (अंधापन और कम दृष्टि)

(बी) HI - श्रवण हानि (बहरा, सुनने में कठिनाई)

(सी) LD - लोकोमोटर विकलांगता (एक पैर, दोनों पैर, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, कुष्ठ रोग ठीक हुआ)

(डी) MD- एकाधिक विकलांगता (खंड (ए) से (सी) के तहत व्यक्तियों में से एकाधिक विकलांगता जिसमें प्रत्येक विकलांगता के लिए विशेष रूप से पहचाने गए पद में बहरा-अंधापन भी शामिल है - इस शर्त के अधीन कि प्रत्येक विकलांगता कम से कम 40 % होनी चाहिए या अधिक)

ध्यान दें: उम्मीदवार कृपया भारत सरकार की वेबसाइट - [https:// depwd.gov.in/acts/](https://depwd.gov.in/acts/) - देख सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रासंगिक भागों की जांच कर सकते हैं।

11.2 पीडब्ल्यूबीडी के लिए किसी पद की उपयुक्तता या अन्यथा को विकलांगता की निर्दिष्ट उप-श्रेणी के विवरण के साथ "बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता" कॉलम के तहत प्रत्येक पद के सामने पोस्ट पैरामीटर तालिका (अनुलग्नक-ए) में दर्शाया गया है।

11.3 PwBD उम्मीदवारों को अयोग्यता से बचने के लिए केवल उन पदों के लिए आवेदन करने में सावधानी बरतनी चाहिए जिन्हें स्पष्ट रूप से उनकी बेंचमार्क विकलांगता या विकलांगता की निर्दिष्ट उप-श्रेणी के लिए उपयुक्त बताया गया है।

11.4 छूट के लिए विकलांगता की डिग्री और विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी: केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं/पदों में संबंधित समुदाय में शर्तों में छूट/आरक्षण के लिए पात्र होंगे जो प्रासंगिक विकलांगता के 40 प्रतिशत से कम नहीं हैं। जो व्यक्ति छूट का लाभ लेना चाहता है, उसे अनुलग्नक-V(A), V(B) और V(C) {फॉर्म II, III या IV के प्रोफार्मा के अनुसार विकलांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 के राजपत्र अधिसूचना (असाधारण) दिनांक 15 जून 2017 के नियम 18(1) में निर्धारित अनुसार लागू, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाणपत्र डीवी के समय जमा करना होगा।

11.5 स्क्राइब की सहायता: दृष्टिबाधित (VI) उम्मीदवार / उम्मीदवार जिनकी लेखन गति सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित है / एक हाथ वाले उम्मीदवार / मस्कुलर डिस्टॉफी / बौद्धिक विकलांगता (ऑटिज्म, विशिष्ट सीखने की विकलांगता और मानसिक बीमारी) वाले उम्मीदवार उनकी ओर से उत्तर लिखने के लिए लेखक (स्क्राइब) की सहायता का लाभ उठा सकते हैं। लेखक (स्क्राइब) की नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन में इसका उल्लेख करना होगा। एक लेखक (स्क्राइब) की नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:

(ए) PwBD उम्मीदवार, जो एक लेखक (स्क्राइब) के लिए पात्र है, लेखक (स्क्राइब) की व्यवस्था स्वयं को करनी होगी।

(बी) उम्मीदवार के साथ आने वाले लेखक (स्क्राइब) को अलग से ई-कॉल लेटर जारी किया जाएगा।

(सी) परीक्षा के दौरान लेखक (स्क्राइब) के किसी भी दुर्व्यवहार के लिए उम्मीदवार जिम्मेदार होगा।

(डी) लेखक (स्क्राइब) को उसी सीईएन (CEN) में उम्मीदवार नहीं होना चाहिए।

(ई) एक ही लेखक (स्क्राइब) को एक से अधिक उम्मीदवारों द्वारा नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। लेखक (स्क्राइब) और उम्मीदवार दोनों को इस आशय की घोषणा देनी होगी। यदि किसी भी स्तर पर कोई उल्लंघन पाया जाता है, तो उम्मीदवार और लेखक (स्क्राइब) दोनों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

(एफ) स्क्राइब के लिए अनुरोध करने वाले उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन में अपने स्क्राइब का अतिरिक्त विवरण [अनुलग्नक-V(डी) के अनुसार] प्रदान करना होगा, ताकि आरआरबी आवश्यक ई-कॉल लेटर जारी कर सकें।

(जी) सीबीटी के दौरान, ई-कॉल पत्र पर उम्मीदवार और लेखक (स्क्राइब) दोनों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। सीबीटी स्थल पर लेखक (स्क्राइब) को बदलने की अनुमति नहीं है और इसलिए उसी लेखक (स्क्राइब) की उपलब्धता सुनिश्चित करना उम्मीदवार की जिम्मेदारी है। हालाँकि, असाधारण परिस्थितियों में, कारण दर्ज करके और बदले गए लेखक (स्क्राइब) की तस्वीर सहित प्रासंगिक विवरण भरकर परिवर्तन की अनुमति दी जा सकती है।

(हेच) लेखक (स्क्राइब) की सहायता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार सीबीटी के प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट के प्रतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे।

11.6 सभी एक-आंख वाले उम्मीदवार और उम्मीदवार जिनकी दृश्य विकलांगता की डिग्री 40% से कम है, लेखक (स्क्राइब) की नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

11.7 चयनित PwBD उम्मीदवारों को उनके DV के बाद रेलवे मेडिकल अधिकारियों द्वारा मेडिकल परीक्षण के अधीन किया जाएगा और केवल निर्धारित मेडिकल मानकों के अनुरूप उम्मीदवार ही पैनल में शामिल होने के लिए पात्र होंगे (उनकी विकलांगता के लिए उपयुक्त के रूप में पहचाने गए पदों के लिये)।

12.0 वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC):

रेलवे या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सहित किसी भी केंद्रीय/राज्य सरकार के विभाग में सेवारत (प्रारंभिक प्रशिक्षण/परिवीक्षा से गुजर रहे लोगों सहित) उम्मीदवार अपने नियोक्ता को सूचित करते हुए सीधे RRB को ONLINE आवेदन कर सकते हैं। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को डीवी की तारीख पर नियोक्ता से NOC प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

नोट: उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि यदि संबंधित आरआरबी द्वारा उनके नियोक्ता से परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले/उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की अनुमति रोकने का संचार प्राप्त होता है, तो उनका आवेदन/उम्मीदवारी अस्वीकार/रद्द कर दी जाएगी।

13.0 भर्ती प्रक्रिया:

(ए) उम्मीदवारों को आरआरबी की किसी भी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन करना चाहिए। उम्मीदवार एक वेतन स्तर के लिए केवल एक आरआरबी पर आवेदन कर सकते हैं और एक वेतन स्तर में केवल एक सामान्य ऑनलाइन आवेदन (किसी भी या सभी अधिसूचित पदों के लिए वरीयता के क्रम में जिसके लिए उम्मीदवार आवेदन करने के लिए पात्र और इच्छुक है।) प्रस्तुत किया जाना चाहिए। एक बार आवेदन करने के बाद आरआरबी का चयन अंतिम होगा। एक उम्मीदवार द्वारा वेतन स्तर में एक से अधिक आरआरबी के लिए आवेदन करने पर, उस वेतन स्तर के लिए सभी आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा और डिबार कर दिया जाएगा।

(बी) भर्ती प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होंगे:

(i) कंप्यूटर आधारित परीक्षण (CBT)

(ii) दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी-DV) और

(iii) मेडिकल परीक्षा (एमई-ME)

(सी) परीक्षा अनुसूची और स्थानों की जानकारी आरआरबी वेबसाइटों, एसएमएस और ईमेल के माध्यम से नियत समय में पात्र उम्मीदवारों को दी जाएगी।

(डी) किसी भी चरण को स्थगित करने या स्थान, तिथि और शिफ्ट में बदलाव के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

13.1 कंप्यूटर आधारित परीक्षण (CBT):

प्रत्येक वेतन स्तर के लिए अलग सीबीटी होगा।

(A) वेतन स्तर-5 पोस्ट यानी तकनीशियन ग्रेड- I सिग्नल के लिए सीबीटी का पैटर्न और पाठ्यक्रम,

(i) कुल अवधि: 90 मिनट और कुल प्रश्न: 100

(ii) प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक की दर से नकारात्मक अंकन किया जाएगा।

(iii) कई पारियों में आयोजित सीबीटी के लिए मार्क्स का सामान्यीकरण किया जाएगा।

(iv) पात्रता के लिए न्यूनतम पास प्रतिशत: उर (UR) और ईडब्ल्यूएस (EWS) - 40%, ओबीसी (एनसीएल) - 30%, एससी - 30%, एसटी - 25%। कमी होने पर PwBD उम्मीदवारों के लिए इन प्रतिशत में 2% की छूट दी जा सकती है।

(v) सीबीटी में प्राप्त अंकों को इस भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग के लिए गिना जाएगा

(vi) तकनीशियन ग्रेड- I सिग्नल के सीबीटी के लिए सिलेबस: प्रश्न बहुविकल्पीय उत्तरों के साथ वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और निम्नलिखित पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों को कवर करने की संभावना है:

सामान्य जागरूकता: वर्तमान मामलों का ज्ञान, भारतीय भूगोल, संस्कृति और भारत के इतिहास का ज्ञान जिसमें स्वतंत्रता संघर्ष, भारतीय राजनीति और संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दे, खेल, सामान्य वैज्ञानिक और तकनीकी विकास आदि शामिल हैं।

सामान्य बुद्धि और तर्क: उपमाएँ, वर्णमाला और संख्या श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, गणितीय संचालन, संबंध, सिलेगिज्म, जंबलिंग, वेन आरेख, डेटा व्याख्या और पर्याप्तता, निष्कर्ष और निर्णय लेने, समानताएं और अंतर, विश्लेषणात्मक तर्क, वर्गीकरण, निर्देश, विवरण, विवरण - तर्क और धारणा आदि।

कंप्यूटर और अनुप्रयोगों की मूल बातें: कंप्यूटर की वास्तुकला; इनपुट और आउटपुट डिवाइस; स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स; एमएस ऑफिस; विभिन्न डेटा प्रतिनिधित्व; इंटरनेट और ईमेल; वेबसाइट और वेब ब्राउज़र; कंप्यूटर वायरस।

गणित: संख्या प्रणाली, तर्कसंगत और तर्कहीन संख्या, बोडमास नियम, द्विघात समीकरण, अंकगणितीय प्रगति, समान त्रिकोण, पाइथागोरस प्रमेय, समन्वय ज्यामिति, त्रिकोणमितीय अनुपात, ऊंचाइयों और दूरी, सतह क्षेत्र और मात्रा; सेट: सेट और उनके अभ्यावेदन, खाली सेट, परिमित और अनंत सेट, समान सेट, सबसेट, वास्तविक संख्याओं के एक सेट के सबसेट, यूनिवर्सल सेट, वेन आरेख, संघ और सेट के चौराहे, सेट का अंतर, एक सेट का पूरक, गुण पूरक की; सांख्यिकी: फैलाव के उपाय: सीमा, माध्य विचलन, विचरण और अनुग्रुप/समूहीकृत डेटा का मानक विचलन; घटनाओं की संभावना घटना, संपूर्ण घटनाओं, पारस्परिक रूप से अनन्य घटनाओं।

बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग: भौतिकी बुनियादी बातों- इकाइयाँ, माप, द्रव्यमान, वजन, घनत्व, कार्य, शक्ति और ऊर्जा, गति और वेग, गर्मी और तापमान; बिजली और चुंबकत्व- इलेक्ट्रिक चार्ज, फील्ड, और तीव्रता, विद्युत क्षमता और संभावित अंतर, सरल इलेक्ट्रिक सर्किट, कंडक्टर, गैर-कंडक्टर/इंसुलेटर, ओम के कानून और इसकी सीमाएं, श्रृंखला में प्रतिरोध और एक सर्किट और विशिष्ट प्रतिरोध के समानांतर, संबंध, संबंध, संबंध विद्युत क्षमता, ऊर्जा, और शक्ति (वाटेज), एम्पीयर का नियम, चलती चार्ज कण पर चुंबकीय बल और लंबे सीधे कंडक्टर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, फैराडे का नियम, और विद्युत चुम्बकीय प्रवाह, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रेरण; इलेक्ट्रॉनिक्स और माप- बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और सर्किट, माइक्रोकंट्रोलर, माइक्रोप्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक माप, माप प्रणाली और सिद्धांत, रेंज एक्सटेंशन विधियाँ, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, एलसीडी, एलईडी पैनल, ट्रांसड्यूसर।

तकनीशियन ग्रेड- I सिग्नल के सीबीटी के लिए प्रश्नों और अंकों के संभावित विषय-वार ब्रेक-अप		
विषयों	प्रश्नों की संख्या	प्रत्येक अनुभाग के लिए अंक
सामान्य जागरूकता	10	10
सामान्य बुद्धि और तर्क	15	15
कंप्यूटर और अनुप्रयोगों की मूल बातें	20	20
अंक शास्त्र	20	20
बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरी	35	35
कुल	100	100
(i) अवधि: 90 मिनट (लेखक (स्क्राइब) का उपयोग करने वाले PwBD उम्मीदवारों के लिए 30 मिनट के अतिरिक्त समय के साथ)		
(ii) ऊपर दिया गया विषय-वार वितरण केवल सांकेतिक है। प्रश्न पत्र अलग-अलग हो सकते हैं।		

(B) वेतन स्तर -2 यानी तकनीशियनों-III के पदों के लिए सीबीटी का पैटर्न और सिलेबस:

(i) कुल अवधि: 90 मिनट और कुल प्रश्न: 100

(ii) प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक की दर से नकारात्मक अंकन किया जाएगा।

(iii) कई पारियों में आयोजित सीबीटी के अंकों का सामान्यीकरण किया जाएगा।

(iv) पात्रता के लिए न्यूनतम पास प्रतिशत: उर (UR) और ईडब्ल्यूएस (EWS) - 40%, ओबीसी (एनसीएल) - 30%, एससी - 30%, एसटी - 25%। कमी होने पर PwBD उम्मीदवारों के लिए इन प्रतिशत में 2% की छूट दी जा सकती है।

(v) सीबीटी में प्राप्त अंकों को इस भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग के लिए गिना जाएगा।

(vi) वेतन स्तर-2 यानी तकनीशियन ग्रेड III की विभिन्न श्रेणियां पदों के लिए सीबीटी के लिए पाठ्यक्रम: प्रश्न बहुविकल्पीय उत्तरों के साथ वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और निम्नलिखित पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों को कवर करने की संभावना है:

गणित: संख्या प्रणाली, बोडमास, दशमलव, भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय और कार्य; समय और दूरी, सरल और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ और हानि, बीजगणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति, प्राथमिक सांख्यिकी, वर्गमूल, आयु गणना, कैलेंडर और घड़ी, पाइप और टंकी आदि।

सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क: मानसिक क्षमता: सादृश्य, वर्णमाला और संख्या श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, गणितीय संचालन, रिश्ते, सिलोगिज्म, जंबलिंग, वेन आरेख, डेटा व्याख्या और पर्याप्तता, निष्कर्ष और निर्णय लेना, समानताएं और अंतर, विश्लेषणात्मक तर्क, वर्गीकरण, दिशाएं, कथन - तर्क और धारणाएं आदि।

सामान्य विज्ञान: इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम में 10वीं कक्षा के स्तर के भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीवन विज्ञान शामिल होंगे।

सामान्य जागरूकता: सामान्य जागरूकता: समसामयिक मामले, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल, संस्कृति, व्यक्तित्व, अर्थशास्त्र, राजनीति और अन्य महत्व के विषय।

तकनीशियनों-III के पदों के सीबीटी के लिए प्रश्नों और अंकों का संभावित विषय-वार विवरण		
विषय	प्रश्नों की संख्या	अंक
अंक शास्त्र	25	25
सामान्य बुद्धि एवं तर्क	25	25
सामान्य विज्ञान	40	40
सामान्य जागरूकता	10	10
कुल	100	100
(i) अवधि: 90 मिनट (लेखक (स्क्राइब) का उपयोग करने वाले PwBD उम्मीदवारों के लिए 30 मिनट के अतिरिक्त समय के साथ)		
(ii) ऊपर दिया गया विषयवार वितरण केवल सांकेतिक है। प्रश्नपत्र अलग-अलग हो सकते हैं।		

13.2 दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी):

(ए) उम्मीदवारों को संबंधित वेतन स्तरों के लिए सीबीटी में उनके अंकों और योग्यता के आधार पर दस्तावेज़ सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों की संख्या के बराबर होगी।

(बी) यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं, तो उनकी योग्यता स्थिति आयु मानदंड द्वारा निर्धारित की जाएगी, यानी, बड़े उम्मीदवार को युवा उम्मीदवार की तुलना में अधिक योग्यता दी जाएगी।

(सी) चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति रेलवे प्रशासन द्वारा आयोजित अपेक्षित मेडिकल फिटनेस टेस्ट में उत्तीर्ण होने और सभी आवश्यक दस्तावेजों के अंतिम सत्यापन और उम्मीदवारों के पूर्ववृत्त/चरित्र के सत्यापन के अधीन है।

(डी) उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि आरआरबी केवल संबंधित रेलवे प्रशासन को पैनल में शामिल उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करते हैं। नियुक्ति का प्रस्ताव केवल संबंधित रेलवे प्रशासन द्वारा जारी किया जाता है।

14.0 आवेदन कैसे करें:

(ए) गलतियों से बचने के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले सभी जानकारी और निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए।

(बी) उम्मीदवारों को पहले नीचे पैरा 14 (एफ) पर आधिकारिक आरआरबी वेबसाइटों में दिए गए लिंक के माध्यम से इस सीईएन (CEN) के लिए 'एक खाता बनाना' ('Create an account') होगा। खाता निर्माण के लिए ओटीपी प्राप्त करने के लिए उनके पास एक सक्रिय व्यक्तिगत मोबाइल नंबर और एक वैध ईमेल आईडी (ID) होना चाहिए। 'खाता बनाएं' (Create an Account) फॉर्म में भरे गए विवरण (मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सहित) में बाद में कोई बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(सी) प्रत्येक उम्मीदवार को एक विशिष्ट वेतन स्तर के लिए केवल एक आरआरबी के लिए आवेदन करने की अनुमति है, और किसी भी या सभी अधिसूचित पदों के लिए एक उम्मीदवार द्वारा उस वेतन स्तर में वरीयता के क्रम में केवल एक सामान्य ऑनलाइन आवेदन जमा किया जाना चाहिए, जिसके लिए उम्मीदवार आवेदन करने के लिए पात्र और इच्छुक है। आवेदन केवल नीचे पैरा 14 (एफ) में सूचीबद्ध आधिकारिक आरआरबी वेबसाइटों के माध्यम से ही जमा किए जाने चाहिए। प्रत्येक वेतन स्तर के लिए एक अलग आवेदन जमा करना होगा, क्योंकि प्रत्येक वेतन स्तर के लिए एक अलग सीबीटी आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक वेतन स्तर के लिए लागू परीक्षा शुल्क का भुगतान भी अलग से करना आवश्यक है। एक बार आवेदन जमा हो जाने के बाद, चयनित आरआरबी, उस वेतन स्तर के लिए अंतिम होगा। एक

उम्मीदवार द्वारा समान वेतन स्तर के लिए एक से अधिक आरआरबी में आवेदन करने पर उस वेतन स्तर के लिए सभी आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा और डिबारमेंट कर दिया जाएगा।

ध्यान दें: उम्मीदवार के पास कई शैक्षणिक योग्यताएं हैं जो उसे वेतन स्तर-2 और वेतन स्तर-5 (उदाहरण के लिए संबंधित व्यापार में आईटीआई और तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल के लिए निर्धारित योग्यताओं में से कोई एक) के लिए आवेदन करने के योग्य बनाती हैं, उन्हें प्रत्येक वेतन के लिए अलग-अलग आवेदन जमा करना होगा। एक आवेदन तकनीशियन ग्रेड III के लिए और दूसरा आवेदन तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल के लिए।

PwBD उम्मीदवारों के लिए लेखक (स्क्राइब): यदि आप PwBD उम्मीदवार हैं और लेखक (स्क्राइब) के लिए पात्र हैं तो लेखक (स्क्राइब) के लिए विकल्प बताएं। केवल दृष्टिबाधित (VI) से पीड़ित उम्मीदवार या वे उम्मीदवार जिनकी लेखन गति सेरेब्रल पाल्सी/मस्कुलर डिस्ट्रोफी से प्रभावित है/लोकोमोटर विकलांगता (एक हाथ)/बौद्धिक विकलांगता (ऑटिज्म, विशिष्ट सीखने की विकलांगता और मानसिक बीमारी) वाले उम्मीदवार ही इस सीईएन (CEN) के लिए लेखक (स्क्राइब) के लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। यदि आपने स्क्राइब को पक्का कर लिया है, तो स्क्राइब का विवरण जैसे नाम, पिता का नाम, शैक्षणिक योग्यता आदि दर्ज करें। इस प्रकार व्यवस्थित किया गया स्क्राइब स्वयं उस अधिसूचना के लिए उम्मीदवार नहीं होना चाहिए जिसके लिए उम्मीदवार उपस्थित हो रहा है और एक से अधिक अभ्यर्थी के लिए एक ही लेखक (स्क्राइब) की नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए।

(डी) आवेदन भरने से पहले ऑनलाइन अनिवार्य स्कैन किए गए दस्तावेज़ तैयार रखें:

(i) जेपीईजी छवि (आकार 30 से 70 केबी) में उम्मीदवार की हालिया, स्पष्ट रंगीन पासपोर्ट आकार की तस्वीर (सादे सफेद पृष्ठभूमि के खिलाफ) - बिना काला चश्मा और/या टोपी पहने।

ध्यान दें: भर्ती प्रक्रिया के दौरान भविष्य में उपयोग के लिए उम्मीदवारों के पास एक ही तस्वीर की कम से कम 12 (बारह) प्रतियां होनी चाहिए।

(ii) चलती लिखावट में उम्मीदवार के हस्ताक्षर की स्कैन की गई JPEG छवि (आकार 30 से 70KB)

(iii) एससी/एसटी प्रमाणपत्र (केवल ट्रेन यात्रा के लिए मुफ्त पास का अनुरोध करने वाले उम्मीदवारों के लिए) पीडीएफ प्रारूप में (500 केबी तक)।

(iv) PwBD उम्मीदवारों को भी उपरोक्त विनिर्देशों के अनुसार ही पासपोर्ट फोटो अपलोड करना चाहिए (और विकलांगता प्रमाण पत्र में उपयोग की गई पूरे शरीर की फोटो नहीं)।

(v) स्क्राइब **(केवल पीडब्ल्यूडी पात्र उम्मीदवारों के लिए लागू):** स्क्राइब का विवरण प्रदान करें और स्क्राइब की जेपीईजी छवि (आकार 30 से 70 केबी) की पासपोर्ट आकार का फोटो (सादे सफेद पृष्ठभूमि के खिलाफ) - बिना काला चश्मा और/या टोपी पहने, अपलोड करें। लेखक (स्क्राइब) की जानकारी देना अनिवार्य है। परीक्षा स्थल पर लेखक (स्क्राइब) को बदलने की आम तौर पर अनुमति नहीं है। हालाँकि, असाधारण परिस्थितियों में कारण दर्ज करके और लेखक (स्क्राइब) की तस्वीर सहित प्रासंगिक विवरण भरकर परिवर्तन की अनुमति दी जा सकती है।

(ई) उम्मीदवार ONLINE आवेदन जमा करने के लिए Digital India पहल के तहत Common Services Centre, Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India की सेवाओं का भी उपयोग कर सकते हैं। Common Services Centre (CSC) योजना भारत सरकार की National eGovernance Plan (NeGP) का एक हिस्सा है और इसका प्रबंधन प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक Village Level Entrepreneur (VLE) द्वारा किया जाता है। देश भर में 1.5 लाख से अधिक Common Services Centres (CSC) हैं जो शहरी और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवारों को आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने और e-wallet के माध्यम से शुल्क के भुगतान में वांछित सहायता प्रदान करेंगे। सामान्य सेवा केंद्र की सूची वेबसाइट www.csc.gov.in पर उपलब्ध है। निकटतम Common Services Centre जानने के लिए, कृपया लिंक खोलें - Find My Csc (<https://findmycsc.nic.in/csc/>)।

(एफ) उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों या इस अधिसूचना में किसी भी बदलाव पर प्रामाणिक जानकारी और नियमित अपडेट के लिए आधिकारिक आरआरबी वेबसाइटों पर अक्सर जाने की सलाह दी जाती है।

CEN 02/2024 में भाग लेने वाले RRBs की वेबसाइटें

अहमदाबाद www.rrbahmedabad.gov.in	अजमेर www.rrbajmer.gov.in	बेंगलुरु www.rbbnc.gov.in	भोपाल www.rbbhopal.gov.in
भुवनेश्वर www.rbbbs.gov.in	बिलासपुर www.rbbilaspur.gov.in	चंडीगढ़ www.rbbcdg.gov.in	चेन्नई www.rbbchennai.gov.in
गुवाहाटी www.rbbguwahati.gov.in	जम्मू-श्रीनगर www.rbbjammu.nic.in	कोलकाता www.rbbkolkata.gov.in	मालदा www.rbbmalda.gov.in
मुंबई www.rbbmumbai.gov.in	मुजफ्फरपुर www.rbbmuzaffarpur.gov.in	पटना www.rbbpatna.gov.in	प्रयागराज www.rbbald.gov.in
रांची www.rbbbranchi.gov.in	सिकंदराबाद www.rbbsecunderabad.gov.in	सिलीगुड़ी www.rbbiliguri.gov.in	तिरुवनंतपुरम www.rbbthiruvananthapuram.gov.in
गोरखपुर www.rbbgkp.gov.in			

(जी) मूल दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन में जमा की गई जानकारी की वैधता साबित करने की जिम्मेदारी उम्मीदवारों पर होगी।

(हेच) महत्वपूर्ण:

(i) महत्वपूर्ण चयन प्रक्रिया के संबंध में सभी संचार संबंधित आरआरबी आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से सूचित किए जाएंगे।

(ii) हालाँकि, उपरोक्त के अलावा, उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के दौरान अपना व्यक्तिगत मोबाइल नंबर और व्यक्तिगत ई-मेल आईडी सक्रिय रखना होगा, क्योंकि उनके साथ सभी संचार केवल एसएमएस और/या ईमेल के माध्यम से होंगे।

(iii) आरआरबी किसी भी स्तर पर मोबाइल नंबर और ई-मेल पते में बदलाव के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेंगे।

(iv) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों और आरआरबी के साथ पत्राचार के लिए अपना पंजीकरण नंबर ध्यान से नोट करें और याद रखें।

14.1 ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए सामान्य दिशानिर्देश:

खाता बनाने के बाद, कृपया ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए निर्देशों का पालन करें:

(ए) उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र सही जानकारी के साथ भरना होगा और जमा करने से पहले दोबारा जांचना होगा।

(बी) आवेदन जमा करने के बाद आवेदक ऑनलाइन आवेदन में कोई सुधार नहीं कर पाएगा।

(सी) **परीक्षा का माध्यम:** सीबीटी के लिए प्रश्न अंग्रेजी, हिंदी और 13 क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं (जैसे, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू) में उपलब्ध होंगे। तदनुसार, उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में सूचीबद्ध माध्यमों में से किसी एक में से अपनी परीक्षा का माध्यम चुनना होगा। सीबीटी प्रश्न चुनी गई भाषा और अंग्रेजी में प्रदर्शित किए जाएंगे।

(डी) आवेदन जमा करने के बाद, उम्मीदवार को पैरा 7.1 में बताए अनुसार परीक्षा शुल्क के भुगतान का तरीका चुनने और भुगतान प्रक्रिया पूरी करने के लिए निर्देशित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण: कृपया भुगतान करते समय भुगतान के तरीके की वास्तविकता के साथ-साथ इस सीईएन (CEN) के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और समय के बारे में सावधान रहें। अनधिकृत वेबसाइटों से बचें।

(ई) अंत में, ऑनलाइन आवेदन की स्वीकृति शुल्क भुगतान की पुष्टि प्राप्त होने के बाद ही होगी। आवेदक को ईमेल और एसएमएस (SMS) के माध्यम से ऑनलाइन सफल भुगतान की पुष्टि प्राप्त होगी।

15.0 आवेदन में संशोधन:

(ए) ऑनलाइन आवेदन (सभी प्रकार से पूर्ण) जमा करने के बाद, यदि कोई उम्मीदवार 'खाता बनाएं' (Create an Account) फॉर्म (ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सहित), में भरे गए विवरण को छोड़कर किसी भी विवरण को संशोधित, परिवर्तित या सही करना चाहता है वह प्रत्येक अवसर के लिए रुपये 250/- (गैर-वापसी योग्य) के संशोधन शुल्क का भुगतान करके ऐसा कर सकता है। 'खाता बनाएं' (Create an Account) फॉर्म में भरे गए विवरण (ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सहित) और चुने गए आरआरबी को नहीं बदला जा सकता है।

(बी) संशोधन शुल्क का भुगतान समुदाय और श्रेणी की परवाह किए बिना सभी उम्मीदवारों को करना होगा।

(सी) यदि कोई उम्मीदवार अपने समुदाय को एससी/एसटी से यूआर या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस (EWS) में संशोधित करता है, तो उसे संशोधन शुल्क के अलावा परीक्षा शुल्क में अंतर यानी 250/- रुपये का भुगतान करना होगा। ऐसा न करने की स्थिति में उनका संशोधित आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(डी) इसी तरह, यदि कोई उम्मीदवार Ex.SM/PwBD से UR/OBC (NCL)/EWS/Non Ex.SM/Non PwBD आदि में स्विच कर रहा है, तो उसे परीक्षा शुल्क में अंतर यानी 250/- रुपये (संशोधन शुल्क के अतिरिक्त) का भुगतान करना होगा। ऐसा न करने की स्थिति में उनका संशोधित आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(ई) प्रत्येक अवसर के लिए संशोधन शुल्क के भुगतान करने पर ऑनलाइन आवेदन में कितनी भी बार संशोधन की अनुमति दी जाएगी।

(एफ) इस CEN के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और समय यानी 08.04.2024 (23:59 बजे) के 10 (दस) दिन बाद तक संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ ONLINE आवेदन में संशोधन की अनुमति दी जाएगी। संशोधन विंडो (Modification window) 09.04.2024 से 18.04.2024 तक खुली रहेगी। इस अवधि के बाद, RRB आवेदन में दी गई जानकारी में संशोधन के लिए किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं करेगा।

16.0 अमान्य आवेदन/अस्वीकृति:

(ए) ऑनलाइन आवेदन निम्नलिखित आधारों पर अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होंगे:

i) एक ही वेतन स्तर के पद के लिए विभिन्न आरआरबी या एक ही आरआरबी के लिए एकाधिक आवेदन। ऐसे मामले में, सभी आवेदन सरसरी तौर पर खारिज कर दिए जाएंगे और ऐसे उम्मीदवारों को भविष्य की सभी आरआरबी और आरआरसी परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा।

ii) अमान्य फोटो (अर्थात, निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार नहीं) जैसे कि खराब रिज़ॉल्यूशन, पूरे शरीर का दृश्य, केवल साइड का दृश्य, पहचानने योग्य चेहरे की विशेषताएं, फोटोकॉपी की गई तस्वीर, समूह फोटो, झुकी/उल्टी छवि, आदि।

iii) अमान्य हस्ताक्षर (अर्थात, निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार नहीं) जैसे हाथ से लिखने के बजाय बड़े/बड़े अक्षरों का उपयोग, खराब रिज़ॉल्यूशन, अधूरी छवि, आदि।

iv) उम्मीदवार का नाम किसी आरआरबी/आरआरसी की वर्जित सूची में शामिल हो।

v) कोई अन्य अनियमितता।

(बी) **अस्वीकृत आवेदन:** अस्वीकृत आवेदनों का विवरण (अस्वीकृति के कारण सहित) संबंधित RRB की वेबसाइट पर लॉग इन करके देखा जा सकता है, जो अंतिम और बाध्यकारी होगा और इस विषय पर आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। अस्वीकृत आवेदनों के लिए परीक्षा शुल्क (examination fee) वापस नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और email ID पर SMS और email अलर्ट भी भेजे जाएंगे। अभ्यर्थियों को डाक द्वारा सूचित नहीं किया जाएगा।

17.0 ई-कॉल लेटर से संबंधित निर्देश:

(ए) सीबीटी शेड्यूल और ई-कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिंक के बारे में जानकारी और विवरण आरआरबी की वेबसाइटों पर दिए जाएंगे। योग्य उम्मीदवारों को एसएमएस और ईमेल के जरिए भी सूचित किया जाएगा।

(बी) योग्य उम्मीदवार सीबीटी की तारीख से 4 (चार) दिन पहले आरआरबी वेबसाइटों से सीबीटी के लिए अपना ई-कॉल लेटर (और स्क्रीनशॉट के लिए, जहां लागू हो) डाउनलोड कर सकते हैं। (हालांकि, परीक्षा के शहर के बारे में सूचना लगभग 10 (दस) दिन पहले दी जाएगी।)

(सी) उम्मीदवारों को डाक द्वारा कोई कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा।

(डी) सीबीटी के संबंध में विस्तृत जानकारी और निर्देश ई-कॉल लेटर के साथ दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों को इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ना और पालन करना चाहिए। निर्देशों का पालन न करने पर उन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता है।

(ई) **मुफ्त यात्रा सुविधा:** एससी और एसटी उम्मीदवारों के मामले में जो मुफ्त ट्रेन यात्रा के पात्र हैं, उनके ई-कॉल लेटर में ही मुफ्त यात्रा प्राधिकरण (स्टील पर क्लास रेलवे पास) शामिल होगा। ऐसे एससी और एसटी उम्मीदवारों को टिकट बुकिंग काउंटर पर अपने ई-कॉल लेटर और एससी/एसटी प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी जमा करके ट्रेन आरक्षण बुक करने की अनुमति दी जाएगी। यात्रा के दौरान, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को यात्रा करने के लिए अपना मूल समुदाय प्रमाण पत्र और पहचान का एक मूल निर्धारित प्रमाण साथ रखना चाहिए, ऐसा न करने पर उन्हें बिना टिकट यात्रा माना जाएगा और तदनुसार शुल्क लिया जाएगा।

(एफ) परीक्षा के दौरान, उम्मीदवारों को अपने E-call लेटर के साथ एक वैध मूल फोटो पहचान पत्र (जैसे, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ई-आधार का प्रिंटआउट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, यदि उम्मीदवार सरकारी है तो नियोक्ता द्वारा जारी वैध पहचान पत्र। कर्मचारी, यदि अभी भी पढ़ रहे हैं तो स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय फोटो पहचान पत्र, इत्यादि) (Voter ID-Card, Aadhaar card, printout of e- Aadhaar, driving license, PAN card, passport, valid identity card issued by the employer in case the candidate is a govt. employee, school / college / university photo ID card if still studying, etc) ले जाना होगा। ऐसा न करने पर उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(जी) उम्मीदवारों को उसी रंगीन पासपोर्ट फोटो की एक प्रति भी लानी होगी जो सीबीटी/डीवी/एमई के दौरान उनके ऑनलाइन आवेदन में अपलोड की गई थी।

18.0 मूल दस्तावेजों का सत्यापन और प्रमाणपत्रों का प्रारूप:

(ए) डीवी के लिए चुने गए उम्मीदवारों को डीवी के समय अपने सभी मूल दस्तावेजों के साथ स्व-सत्यापित फोटोकॉपी के दो सेट जमा करने होंगे।

(बी) इसके अलावा, इन उम्मीदवारों को अपनी डीवी तिथि से पहले फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन की गई प्रतियां (असली रंग में) पोर्टल - <https://oirms-ir.gov.in/rrbdv> के माध्यम से अपलोड करनी चाहिए।

(सी) सभी प्रमाणपत्र केवल अंग्रेजी या हिंदी में होने चाहिए। जहां प्रमाणपत्र अंग्रेजी/हिंदी में नहीं हैं, वहां स्वप्रमाणित अनुवादित संस्करण (हिंदी/अंग्रेजी में) जहां भी/जब भी आवश्यक हो, प्रस्तुत किया जाना चाहिए। डीवी के दौरान उत्पादित प्रमाणपत्र पूर्णतया निर्धारित प्रारूप में होने चाहिए।

(डी) डीवी की तारीख पर अपने मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले उम्मीदवारों को कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी जब्त कर ली जाएगी।

(ई) जो अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के दौरान अनुपस्थित रहे, उनकी उम्मीदवारी जब्त कर ली जाएगी।

19.0 अनुचित प्रथाओं का उपयोग:

(ए) कोई भी उम्मीदवार किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों जैसे जालसाजी, प्रतिरूपण, धोखाधड़ी, कदाचार, प्रतिबंधित वस्तुओं का उपयोग या उपयोग का प्रयास, गलत बयानी और तथ्यों को छिपाना आदि का उपयोग करते हुए पाया जाएगा, तो उसे सभी परीक्षाओं में उपस्थित होने से रोक दिया जाएगा। आरआरबी और आरआरसी जीवन भर के लिए। उसे रेलवे में नियुक्ति से भी वंचित कर दिया जाएगा और यदि पहले से ही नियुक्त है, तो सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार कानूनी कार्रवाई के भी पात्र होंगे।

(बी) भर्ती प्रक्रिया के संबंध में अनुचित हितों को आगे बढ़ाने के लिए अनुचित और अनुचित प्रभाव के किसी भी उपयोग से संबंधित उम्मीदवार को अयोग्य ठहराया जाएगा और प्रतिबंधित किया जाएगा।

(सी) **चेतावनी:** रेलवे में नियुक्ति की पेशकश करने वाले बेईमान तत्वों और नौकरी रैकेटर्स से सावधान रहें - या तो प्रभाव के माध्यम से या अनुचित और अनैतिक तरीकों का उपयोग करके। आरआरबी भर्ती के लिए किसी एजेंट या कोचिंग सेंटर की नियुक्ति नहीं करते हैं। उम्मीदवारों को किसी भी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा किए जा रहे ऐसे किसी भी दावे के प्रति आगाह किया जाता है। उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह से योग्यता के आधार पर किया जाता है।

20.0 विविध:

(ए) भर्ती प्रक्रिया के हर चरण में उम्मीदवारों का बायोमेट्रिक विवरण दर्ज किया जाएगा। किसी भी बेमेल के मामले में, संबंधित आरआरबी किसी उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने और उस आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा।

(बी) आरआरबी किसी भी उम्मीदवार की पहचान को सत्यापित करने और पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए अतिरिक्त प्रमाणीकरण प्रक्रियाएं आयोजित करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

(सी) आरआरबी किसी भी स्तर पर अतिरिक्त सीबीटी/डीवी (आवश्यकतानुसार) आयोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। आरआरबी बिना कोई कारण बताए इस सीईएन (CEN) में अधिसूचित किसी भी श्रेणी के लिए किसी भी स्तर पर किसी भी भर्ती प्रक्रिया के आंशिक या संपूर्ण भाग को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(डी) पात्रता, ऑनलाइन आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, मुफ्त रेल पास जारी करना, गलत जानकारी के लिए दंडात्मक कार्रवाई, रिक्तियों में संशोधन, चयन का तरीका, सीबीटी का संचालन, परीक्षा केंद्रों का आवंटन, से संबंधित सभी मामलों में आरआरबी का निर्णय।

चयन, चयनित उम्मीदवारों को पदों का आवंटन आदि अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा और इस संबंध में आरआरबी द्वारा कोई पूछताछ या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ई) आरआरबी किसी भी अनजाने त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

(एफ) इस सीईएन (CEN) से उत्पन्न होने वाला कोई भी कानूनी मुद्दा संबंधित केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के कानूनी अधिकार क्षेत्र में आएगा जिसके अंतर्गत संबंधित आरआरबी स्थित है।

(जी) व्याख्या के बारे में किसी भी विवाद की स्थिति में, आरआरबी वेबसाइटों में प्रकाशित अधिसूचना का अंग्रेजी संस्करण अंतिम माना जाएगा।

21.0 इस सीईएन (CEN) में प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर:

भर्ती प्रक्रिया के चरण	सीबीटी = कंप्यूटर आधारित टेस्ट, सीबीएटी = कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट, डीवी = दस्तावेज सत्यापन, एमई = मेडिकल परीक्षा
आरक्षण/आयु में छूट श्रेणी	सीसीए = पाठ्यक्रम पूर्ण अधिनियम अपरेंटिस, ईबीसी (EBC) = आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस (EWS) = आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, एक्सएसएम = भूतपूर्व सैनिक, ओबीसी-सीएल = अन्य पिछड़ा वर्ग - क्रीमी लेयर, ओबीसी-एनसीएल = अन्य पिछड़ा वर्ग-गैर-क्रीमी लेयर, एससी = अनुसूचित जाति, एसटी = अनुसूचित जनजाति, यूआर = अनारक्षित (सामान्य)
रेलवे जोन	सीआर = मध्य रेलवे, ईसीआर = पूर्व मध्य रेलवे, ईसीओआर = पूर्वी तट रेलवे, ईआर = पूर्वी रेलवे, एनआर = उत्तर रेलवे, एनसीआर = उत्तर मध्य रेलवे, एनईआर = उत्तर पूर्व रेलवे, एनएफआर = पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, एनडब्ल्यूआर = उत्तर पश्चिम रेलवे, एसआर = दक्षिणी रेलवे, एससीआर = दक्षिण मध्य रेलवे, एसईआर = दक्षिण पूर्व रेलवे, एसईसीआर = दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, एसडब्ल्यूआर = दक्षिण पश्चिम रेलवे, डब्ल्यूआर = पश्चिमी रेलवे, डब्ल्यूसीआर = पश्चिम मध्य रेलवे आरआरबी = रेलवे भर्ती बोर्ड, आरआरसी = रेलवे भर्ती कक्ष
रेलवे भर्ती बोर्ड (RRBs)	एडीआई = अहमदाबाद, एआईआई = अजमेर, बीबी = मुंबई, बीबीएस = भुवनेश्वर, बीपीएल = भोपाल, बीएसपी = बिलासपुर, सीडीजी = चंडीगढ़, जीकेपी = गोरखपुर, जीएचवाई = गुवाहाटी, जाट = जम्मू श्रीनगर, केओएल = कोलकाता, एमएसएस = चेन्नई, एमएलडी = मालदा, एमएफपी = मुजफ्फरपुर, पीआरवाईजे = प्रयागराज पीएनबीई = पटना, आरएनसी = रांची, एसबीसी = बेंगलुरु, एससी = सिकंदराबाद, एसजीयूजे = सिलीगुड़ी, टीवीसी = तिरुवनंतपुरम
सामान्य	एएलपी = सहायक लोको पायलट, सीईएन (CEN) = केंद्रीकृत रोजगार सूचना, आईडी = पहचान, एलटीआई = बाएं अंगूठे का निशान, ओटीपी = वन टाइम पासवर्ड, पीएसयू = सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, पीयू = उत्पादन इकाई, ईक्यू = शैक्षिक योग्यता
संस्थाएँ / परिषद / प्रमाण पत्र	डीजीटी = प्रशिक्षण महानिदेशालय, आईटीआई = औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, एनएसी = राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाणपत्र, एनटीसी = राष्ट्रीय व्यापार प्रमाणपत्र, एनओसी = अनापत्ति प्रमाणपत्र, एनसीवीटी = राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, एससीवीटी = राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद,

CEN-02/2024 पोस्ट-वार पैरामीटर्स (मापदंड)

श्रेणी संख्या	पद का नाम	7वें सीपी सी में स्तर	चिकित्सा मानक	बेंचमार्क विकलांगता (पीडब्ल्यूबीडी) वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता				न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
				एलडी (LD)	वीआए (VI)	हेच आए (HI)	एमडी (MD)	
1	तकनीशियन ग्रेड- I. सिग्नल	5	बी 1	ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी	नहीं	नहीं	नहीं	"A) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से भौतिकी/इलेक्ट्रॉनिक्स/कंप्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी/इंस्ट्रुमेंटेशन में बी.एससी या भौतिकी/इलेक्ट्रॉनिक्स/कंप्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी/ इंस्ट्रुमेंटेशन की बुनियादी धाराओं के किसी भी उप-धारा के संयोजन में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बी.एससी. / (या) B) उपरोक्त बुनियादी धाराओं में या उपरोक्त किसी भी बुनियादी धाराओं के संयोजन में तीन साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग (या) उपरोक्त बुनियादी धाराओं में या उपरोक्त किसी भी बुनियादी धाराओं के संयोजन में इंजीनियरिंग में डिग्री"
2	तकनीशियन ग्रेड-III ब्लैकस्मिथ	2	बी 1	ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी	नहीं	डी, एचएच	हाँ	मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी प्लस एनसीवीटी/एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से फोर्जर और हीट ट्रीटर /फाउंड्रीमैन/पैटर्न मेकर/मोल्डर (रिफ्रेक्टरी) ट्रेड्स में आईटीआई। (या) मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी प्लस उपरोक्त बताये गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप।
3	तकनीशियन ग्रेड-III ब्रिज	2	बी 1	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी प्लस एनसीवीटी/एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से फिटर/फिटर (स्ट्रक्चरल) /वेल्डर ट्रेड्स में आईटीआई। (या) मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी प्लस उपरोक्त बताये गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप।
4	तकनीशियन ग्रेड-III कैरेज और वैगन	2	बी 1	ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी	नहीं	डी, एचएच	हाँ	मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी प्लस एनसीवीटी/एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से फिटर / कारपेंटर / वेल्डर / प्लम्बर / पाइप फिटर ट्रेड्स में आईटीआई। (या) मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी प्लस उपरोक्त बताये गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप।
5	तकनीशियन ग्रेड III. क्रेन चालक	2	बी 2	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी प्लस एनसीवीटी/एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से मैकेनिक (मोटर वाहन) / सामग्री हैंडलिंग उपकरण सह ऑपरेटर / क्रेन ऑपरेटर / ऑपरेटर लोकोमोटिव और रेल क्रेन ट्रेड्स में आईटीआई। (या) मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी प्लस उपरोक्त बताये गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप।
6	तकनीशियन ग्रेड III. डीजल इलेक्ट्रिकल	2	बी 1	ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी	नहीं	डी, एचएच	हाँ	मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी प्लस एनसीवीटी/एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से इलेक्ट्रीशियन / मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स / वायरमैन / इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक / मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड्स में आईटीआई। (या) मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी प्लस उपरोक्त बताये गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप।

श्रेणी संख्या	पद का नाम	7वें सीपी सी में स्तर	चिकित्सा मानक	बेंचमार्क विकलांगता (पीडब्ल्यूबीडी) वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता				न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
				एलडी (LD)	वीआए (VI)	हेच आए (HI)	एमडी (MD)	
7	तकनीशियन ग्रेड III डीजल मैकेनिकल	2	बी 1	ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी	नहीं	डी, एचएच	हाँ	मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी प्लस एनसीवीटी/एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से फिटर / मैकेनिक डीजल / मैकेनिक (भारी वाहनों की मरम्मत और रखरखाव) / मैकेनिक ऑटोमोबाइल (उन्नत डीजल इंजन) / मैकेनिक मोटर वाहन / ट्रेक्टर मैकेनिक / वेल्डर / पेंटर ट्रेड्स में आईटीआई। (या) मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी प्लस उपरोक्त बताये गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप।
8	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल	2	बी 1	ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी	नहीं	डी, एचएच	हाँ	मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी प्लस एनसीवीटी/एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से इलेक्ट्रीशियन / वायरमैन / मैकेनिक (एचटी, एलटी उपकरण और केबल ज्वाइंटिंग) / इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड्स में आईटीआई। (या) मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी प्लस उपरोक्त बताये गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप।
9	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल/ टी आर एस	2	बी 1	ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी	नहीं	डी, एचएच	हाँ	मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी प्लस एनसीवीटी/एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से इलेक्ट्रीशियन / वायरमैन / इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक / मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स / मैकेनिक (एचटी, एलटी उपकरण और केबल ज्वाइंटिंग) / फिटर / वेल्डर / पेंटर जनरल / मशीनिस्ट / कारपेंटर / ऑपरेंटर एडवांस्ड मशीन टूल ट्रेड्स में आईटीआई। (या) मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी प्लस उपरोक्त बताये गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप।
10	तकनीशियन ग्रेड III ई एम यु	2	बी 1	ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी	नहीं	डी, एचएच	हाँ	मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी प्लस एनसीवीटी/एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से इलेक्ट्रीशियन / वायरमैन / इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक / मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स / मैकेनिक (एचटी, एलटी उपकरण और केबल ज्वाइंटिंग) / फिटर / वेल्डर / पेंटर जनरल / मशीनिस्ट / कारपेंटर / ऑपरेंटर एडवांस्ड मशीन टूल ट्रेड्स में आईटीआई। (या) मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी प्लस उपरोक्त बताये गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप।
11	तकनीशियन ग्रेड III फिटर	2	बी 1	ओएल, बीएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी	बी, एलवी	डी, एचएच	हाँ	मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी प्लस एनसीवीटी/एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से फिटर ट्रेड में आईटीआई। (या) मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी प्लस उपरोक्त बताये गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप।
12	तकनीशियन ग्रेड III पी-वे	2	बी 1	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी प्लस एनसीवीटी/एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से फिटर / वेल्डर / मशीनिस्ट / मशीनिस्ट (ग्राइंडर) ट्रेड्स में आईटीआई। (या) मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी प्लस उपरोक्त बताये गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप।

श्रेणी संख्या	पद का नाम	7वें सीपी सी में स्तर	चिकित्सा मानक	बैचमार्क विकलांगता (पीडब्ल्यूबीडी) वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता				न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
				एलडी (LD)	वीआए (VI)	हेच आए (HI)	एमडी (MD)	
13	तकनीशियन ग्रेड III। रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग	2	बी 1	ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी	नहीं	डी, एचएच	हाँ	मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी प्लस एनसीवीटी/एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक / इलेक्ट्रीशियन / वायरमैन / इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड्स में आईटीआई। (या) मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी प्लस उपरोक्त बताये गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप।
14	तकनीशियन ग्रेड III। रिवर्टर	2	बी 1	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी प्लस एनसीवीटी/एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से मशीनिस्ट/मशीनिस्ट (ग्राइंडर) ट्रेड्स में आईटीआई। (या) मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी प्लस उपरोक्त बताये गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप।
15	तकनीशियन ग्रेड- III। सिम्रल	2	बी 1	ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी	नहीं	नहीं	नहीं	मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी प्लस एनसीवीटी/एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक/इलेक्ट्रीशियन/वायरमैन ट्रेड्स में आईटीआई। (या) मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी प्लस उपरोक्त बताये गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप।
16	तकनीशियन ग्रेड III। ट्रैक मशीन	2	ए3	ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी	नहीं	डी, एचएच	हाँ	मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी प्लस एनसीवीटी/एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से फिटर / इलेक्ट्रीशियन / इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक / इंस्ट्रुमेंट मैकेनिक / मैकेनिक मेकट्रॉनिक्स / मैकेनिक डीजल / मैकेनिक मोटर वाहन / वेल्डर / मशीनिस्ट ट्रेड्स में आईटीआई। (या) मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी प्लस उपरोक्त बताये गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप।
17	तकनीशियन ग्रेड III। टर्नर	2	बी 1	ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी	बी, एलवी	डी, एचएच	हाँ	मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी प्लस एनसीवीटी/एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से टर्नर/ऑपरटर उन्नत मशीन टूल ट्रेड्स में आईटीआई। (या) मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी प्लस उपरोक्त बताये गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप।
18	तकनीशियन ग्रेड III। वेल्डर	2	बी 1	ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी	नहीं	डी, एचएच	हाँ	मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी प्लस एनसीवीटी/एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से वेल्डर / वेल्डर (गैस और इलेक्ट्रिक) / गैस कटर / वेल्डर (स्ट्रक्चरल) / वेल्डर (पाइप) / वेल्डर (टीआईजी/एमआईजी) ट्रेड्स में आईटीआई। (या) मैट्रिकुलेशन / एसएसएलसी प्लस उपरोक्त बताये गए ट्रेड्स में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसशिप।

श्रेणी संख्या	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे जोन	यू आर	एस सी	एस टी	ओ बी सी	EWS	कुल	एक्स एस एम	एल डी	वी आय	हेच आय	एम डी
अहमदाबाद														
1	तकनीशियन ग्रेड- I सिग्नल	5	डब्ल्यू आर	38	10	3	19	4	74	8	3	0	0	0
2	तकनीशियन ग्रेड-III ब्लैकस्मिथ	2	डब्ल्यू आर	5	0	0	1	0	6	0	0	0	0	0
3	तकनीशियन ग्रेड-III ब्रिज	2	डब्ल्यू आर	2	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0
4	तकनीशियन ग्रेड-III कैरेज और वैगन	2	डब्ल्यू आर	37	14	6	24	9	90	9	1	0	2	1
6	तकनीशियन ग्रेड III डीजल (इलेक्ट्रिकल)	2	डब्ल्यू आर	6	2	1	4	1	14	1	0	0	1	0
7	तकनीशियन ग्रेड III डीजल (मैकेनिकल)	2	डब्ल्यू आर	8	3	1	6	1	19	2	0	0	1	0
8	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल	2	डब्ल्यू आर	83	23	10	43	18	177	18	6	0	1	1
9	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल / TRS	2	डब्ल्यू आर	20	1	1	3	5	30	3	1	0	0	0
10	तकनीशियन ग्रेड III ई एम यु	2	डब्ल्यू आर	4	2	1	3	3	13	1	0	0	0	0
11	तकनीशियन ग्रेड III (फिटर)	2	डब्ल्यू आर	82	35	16	62	21	216	22	3	1	2	2
15	तकनीशियन ग्रेड III (एस & टी)	2	डब्ल्यू आर	42	17	10	25	12	106	12	7	0	0	0
18	तकनीशियन ग्रेड III (वेल्डर)	2	डब्ल्यू आर	10	2	0	1	0	13	1	0	0	0	0
	कुल - तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल			38	10	3	19	4	74	8	3	0	0	0
	कुल - तकनीशियन ग्रेड III			299	99	46	173	70	687	69	18	1	7	4
	आरआरबी अहमदाबाद कुल			337	109	49	192	74	761	77	21	1	7	4
अजमेर														
1	तकनीशियन ग्रेड- I सिग्नल	5	एन डब्ल्यू आर	27	8	3	15	4	57	6	1	0	0	0
1	तकनीशियन ग्रेड- I सिग्नल	5	डब्ल्यू सी आर	5	2	1	3	1	12	1	0	0	0	0
2	तकनीशियन ग्रेड-III ब्लैकस्मिथ	2	एन डब्ल्यू आर	2	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0
3	तकनीशियन ग्रेड-III ब्रिज	2	एन डब्ल्यू आर	4	1	0	1	0	6	1	0	0	0	0
4	तकनीशियन ग्रेड-III कैरेज और वैगन	2	एन डब्ल्यू आर	11	2	2	5	2	22	2	1	0	1	0
7	तकनीशियन ग्रेड III डीजल (मैकेनिकल)	2	एन डब्ल्यू आर	10	0	0	0	2	12	1	0	0	0	0
8	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल	2	एन डब्ल्यू आर	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
8	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल	2	डब्ल्यू सी आर	11	3	1	5	3	23	3	2	0	0	0
9	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल / TRS	2	डब्ल्यू सी आर	68	22	11	38	21	160	16	3	0	3	0
11	तकनीशियन ग्रेड III (फिटर)	2	डब्ल्यू सी आर	2	3	0	0	1	6	1	0	0	0	0
15	तकनीशियन ग्रेड III (एस & टी)	2	एन डब्ल्यू आर	20	4	4	9	5	42	4	0	0	0	0
15	तकनीशियन ग्रेड III (एस & टी)	2	डब्ल्यू सी आर	28	2	1	19	6	56	6	2	0	0	0

श्रेणी संख्या	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे जोन	यू आर	एस सी	एस टी	ओ बी सी	EWS	कुल	एक्स एस एम	एल डी	वी आय	हेच आय	एम डी
अजमेर														
16	तकनीशियन ग्रेड III ट्रैक मशीन	2	एन डब्लू आर	14	7	3	7	5	36	4	0	0	0	0
16	तकनीशियन ग्रेड III ट्रैक मशीन	2	डब्लू सी आर	12	4	2	8	3	29	3	1	0	1	0
18	तकनीशियन ग्रेड III (वेल्डर)	2	एन डब्लू आर	3	3	0	0	0	6	0	0	0	0	0
18	तकनीशियन ग्रेड III (वेल्डर)	2	डब्लू सी आर	24	7	0	14	5	50	5	0	0	1	0
	कुल - तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल			32	10	4	18	5	69	7	1	0	0	0
	कुल - तकनीशियन ग्रेड III			209	58	24	106	56	453	46	9	0	6	0
	आरआरबी अजमेर कुल			241	68	28	124	61	522	53	10	0	6	0
बेंगलुरु														
1	तकनीशियन ग्रेड- I सिग्नल	5	एस डब्लू आर	22	7	3	8	4	44	5	0	0	0	0
2	तकनीशियन ग्रेड-III ब्लैकस्मिथ	2	एस डब्लू आर	6	2	2	3	1	14	2	0	0	0	0
4	तकनीशियन ग्रेड-III कैरेज और वैगन	2	एस डब्लू आर	5	2	2	3	2	14	2	0	0	0	0
7	तकनीशियन ग्रेड III डीजल (मैकेनिकल)	2	एस डब्लू आर	2	1	0	1	1	5	1	0	0	0	0
8	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल	2	एस डब्लू आर	15	2	1	4	1	23	2	0	0	0	0
13	तकनीशियन ग्रेड III रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग	2	एस डब्लू आर	5	1	1	1	0	8	1	0	0	0	0
15	तकनीशियन ग्रेड III (एस & टी)	2	एस डब्लू आर	8	5	3	7	3	26	3	1	0	0	0
16	तकनीशियन ग्रेड III ट्रैक मशीन	2	एस डब्लू आर	5	1	1	1	0	8	1	0	0	0	0
	कुल - तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल			22	7	3	8	4	44	5	0	0	0	0
	कुल - तकनीशियन ग्रेड III			46	14	10	20	8	98	12	1	0	0	0
	आरआरबी बेंगलुरु कुल			68	21	13	28	12	142	17	1	0	0	0
भोपाल														
1	तकनीशियन ग्रेड- I सिग्नल	5	डब्लू सी आर	25	7	3	12	4	51	5	2	0	0	0
1	तकनीशियन ग्रेड- I सिग्नल	5	डब्लू आर	11	4	2	8	3	28	3	1	0	0	0
2	तकनीशियन ग्रेड-III ब्लैकस्मिथ	2	डब्लू सी आर	7	1	0	3	1	12	1	0	0	0	0
2	तकनीशियन ग्रेड-III ब्लैकस्मिथ	2	डब्लू आर	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0
5	तकनीशियन ग्रेड III क्रेन चालक	2	डब्लू सी आर	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
6	तकनीशियन ग्रेड III डीजल (इलेक्ट्रिकल)	2	डब्लू सी आर	23	5	4	1	3	36	4	1	0	0	0

श्रेणी संख्या	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे ज़ोन	यू आर	एस सी	एस टी	ओ बी सी	EWS	कुल	एक्स एस एम	एल डी	वी आय	हेच आय	एम डी
भोपाल														
6	तकनीशियन ग्रेड III डीजल (इलेक्ट्रिकल)	2	डब्लु आर	11	3	0	7	2	23	2	1	0	0	0
7	तकनीशियन ग्रेड III डीजल (मैकेनिकल)	2	डब्लु सी आर	19	4	5	2	3	33	3	0	0	1	0
7	तकनीशियन ग्रेड III डीजल (मैकेनिकल)	2	डब्लु आर	5	2	0	3	3	13	1	1	0	0	0
8	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल	2	डब्लु सी आर	15	2	0	3	0	20	2	0	0	0	0
8	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल	2	डब्लु आर	13	7	1	10	3	34	4	1	0	0	0
9	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल / TRS	2	डब्लु सी आर	13	3	2	0	2	20	2	1	0	0	0
9	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल / TRS	2	डब्लु आर	2	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0
11	तकनीशियन ग्रेड III (फिटर)	2	डब्लु सी आर	12	3	1	6	2	24	2	0	0	1	0
11	तकनीशियन ग्रेड III (फिटर)	2	डब्लु आर	11	2	0	3	1	17	2	1	0	0	0
13	तकनीशियन ग्रेड III रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग	2	डब्लु सी आर	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
15	तकनीशियन ग्रेड III (एस & टी)	2	डब्लु सी आर	13	6	2	8	3	32	3	1	0	0	0
15	तकनीशियन ग्रेड III (एस & टी)	2	डब्लु आर	23	7	0	11	5	46	5	2	0	0	0
16	तकनीशियन ग्रेड III ट्रैक मशीन	2	डब्लु सी आर	31	6	1	6	4	48	5	2	0	0	0
18	तकनीशियन ग्रेड III (वेल्डर)	2	डब्लु सी आर	5	1	0	0	0	6	0	1	0	0	0
	कुल - तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल			36	11	5	20	7	79	8	3	0	0	0
	कुल - तकनीशियन ग्रेड III			208	52	16	65	32	373	36	12	0	2	0
	आरआरबी भोपाल कुल			244	63	21	85	39	452	44	15	0	2	0
भुवनेश्वर														
1	तकनीशियन ग्रेड- I सिग्नल	5	ई को आर	5	3	2	0	1	12	1	0+1*	0	0	0
2	तकनीशियन ग्रेड-III ब्लैकस्मिथ	2	ई को आर	1	0	1	1	0	4	0	0	0	0+1*	0
4	तकनीशियन ग्रेड-III कैरेज और वैगन	2	ई को आर	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0+1*	0
8	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल	2	ई को आर	3	4	0	2	3	17	2	0+2*	0	0+2*	0+1*
11	तकनीशियन ग्रेड III (फिटर)	2	ई को आर	3	0	1	1	1	6	1	0	0	0	0
13	तकनीशियन ग्रेड III रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग	2	ई को आर	7	2	1	3	1	14	1	0	0	0	0
15	तकनीशियन ग्रेड III (एस & टी)	2	ई को आर	17	5	3	7	5	38	4	2+1*	0	0	0
16	तकनीशियन ग्रेड III ट्रैक मशीन	2	ई को आर	13	6	4	10	5	40	4	0	0	0	0+2*
18	तकनीशियन ग्रेड III (वेल्डर)	2	ई को आर	7	2	3	3	2	17	2	0	0	0	0
	कुल - तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल			5	3	2	0	1	12	1	0+1*	0	0	0
	कुल - तकनीशियन ग्रेड III			51	19	13	27	18	138	14	2+3*	0	0+4*	0+3*
	आरआरबी भुवनेश्वर कुल			56	22	15	27	19	150	15	2+4*	0	0+4*	0+3*

श्रेणी संख्या	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे जोन	यू आर	एस सी	एस टी	ओ बी सी	EWS	कुल	एक्स एस एम	एल डी	वी आय	हेच आय	एम डी
बिलासपुर														
1	तकनीशियन ग्रेड- I सिग्नल	5	सी आर	14	4	2	7	2	29	3	0	0	0	0
1	तकनीशियन ग्रेड- I सिग्नल	5	एस ई सी आर	31	7	4	17	7	66	7	2	0	0	0
2	तकनीशियन ग्रेड-III ब्लैकस्मिथ	2	सी आर	11	5	2	8	4	30	3	0	0	0	0
2	तकनीशियन ग्रेड-III ब्लैकस्मिथ	2	एस ई सी आर	25	6	2	10	3	46	5	0	0	1	0
3	तकनीशियन ग्रेड-III ब्रिज	2	एस ई सी आर	5	1	1	2	1	10	1	0	0	0	0
6	तकनीशियन ग्रेड III डीजल (इलेक्ट्रिकल)	2	एस ई सी आर	13	2	1	6	0	22	3	1	0	0	0
7	तकनीशियन ग्रेड III डीजल (मैकेनिकल)	2	एस ई सी आर	20	5	2	9	1	37	4	1	0	1	0
8	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल	2	सी आर	14	1	2	3	2	22	3	0	0	0	0
8	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल	2	एस ई सी आर	57	14	6	27	8	112	11	2	0	1	0
9	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल / TRS	2	सी आर	34	14	6	24	11	89	9	0	0	0	0
9	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल / TRS	2	एस ई सी आर	47	16	8	29	10	110	11	4	0	0	0
11	तकनीशियन ग्रेड III (फिल्टर)	2	एस ई सी आर	6	1	0	2	1	10	1	0	0	0	0
13	तकनीशियन ग्रेड III रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग	2	एस ई सी आर	6	1	0	2	1	10	1	0	0	0	0
15	तकनीशियन ग्रेड III (एस & टी)	2	एस ई सी आर	79	23	12	44	16	174	18	5	0	0	0
16	तकनीशियन ग्रेड III ट्रैक मशीन	2	एस ई सी आर	4	0	0	1	0	5	1	0	0	0	0
18	तकनीशियन ग्रेड III (वेल्डर)	2	सी आर	3	2	1	2	1	9	1	0	0	0	0
18	तकनीशियन ग्रेड III (वेल्डर)	2	एस ई सी आर	41	10	2	19	8	80	8	0	0	1	0
	कुल - तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल			45	11	6	24	9	95	10	2	0	0	0
	कुल - तकनीशियन ग्रेड III			365	101	45	188	67	766	80	13	0	4	0
	आरआरबी बिलासपुर कुल			410	112	51	212	76	861	90	15	0	4	0
चंडीगढ़														
1	तकनीशियन ग्रेड- I सिग्नल	5	एन आर	10	4	2	6	3	25	3	0	0	0	0
2	तकनीशियन ग्रेड-III ब्लैकस्मिथ	2	एन आर	10	3	1	6	3	23	3	0	0	0	0
10	तकनीशियन ग्रेड III ई एम यु	2	एन आर	16	6	3	11	4	40	4	1	0	1	0
15	तकनीशियन ग्रेड III (एस & टी)	2	एन आर	10	3	1	4	2	20	2	0	0	0	0
18	तकनीशियन ग्रेड III (वेल्डर)	2	एन आर	1	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0
	कुल - तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल			10	4	2	6	3	25	3	0	0	0	0
	कुल - तकनीशियन ग्रेड III			37	13	5	22	9	86	9	1	0	1	0
	आरआरबी चंडीगढ़ कुल			47	17	7	28	12	111	12	1	0	1	0

श्रेणी संख्या	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे जोन	यू आर	एस सी	एस टी	ओ बी सी	EWS	कुल	एक्स एस एम	एल डी	बी आय	हेच आय	एम डी
चेन्नई														
1	तकनीशियन ग्रेड- I सिग्नल	5	एस आर	22	7	2	12	5	48	5	2	0	0	0
2	तकनीशियन ग्रेड-III ब्लैकस्मिथ	2	एस आर	10	2	2	4	2	20	2	1	0	0	0
3	तकनीशियन ग्रेड-III ब्रिज	2	एस आर	2	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0
4	तकनीशियन ग्रेड-III कैरेज और वैगन	2	एस आर	70	29	17	43	19	178	18	3	0	4	2
6	तकनीशियन ग्रेड III डीजल (इलेक्ट्रिकल)	2	एस आर	5	1	0	2	1	9	1	0	0	0	0
7	तकनीशियन ग्रेड III डीजल (मैकेनिकल)	2	एस आर	5	1	0	2	1	9	1	0	0	0	0
8	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल	2	एस आर	56	23	13	37	20	149	15	5	0	3	0
9	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल / TRS	2	एस आर	108	42	21	77	38	286	29	6	0	7	0
13	तकनीशियन ग्रेड III रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग	2	एस आर	8	3	2	5	1	19	2	1	0	0	0
14	तकनीशियन ग्रेड III रिवर्टर	2	एस आर	4	1	0	1	1	7	0	0	0	0	0
15	तकनीशियन ग्रेड III (एस & टी)	2	एस आर	35	10	5	13	8	71	8	4	0	0	0
16	तकनीशियन ग्रेड III ट्रैक मशीन	2	एस आर	20	3	3	3	3	32	3	2	0	0	0
18	तकनीशियन ग्रेड III (वेल्डर)	2	एस आर	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0
	कुल - तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल			22	7	2	12	5	48	5	2	0	0	0
	कुल - तकनीशियन ग्रेड III			324	115	64	188	94	785	79	22	0	14	2
	आरआरबी चेन्नई कुल			346	122	66	200	99	833	84	24	0	14	2
गोरखपुर														
1	तकनीशियन ग्रेड- I सिग्नल	5	एन ई आर	26	7	4	16	6	59	6	3	0	0	0
2	तकनीशियन ग्रेड-III ब्लैकस्मिथ	2	एन ई आर	2	1	2	2	1	8	1	0	0	0	0
3	तकनीशियन ग्रेड-III ब्रिज	2	एन ई आर	5	0	0	0	1	6	1	0	0	0	0
4	तकनीशियन ग्रेड-III कैरेज और वैगन	2	एन ई आर	0	2	1	2	3	8	1	0	0	0	0
8	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल	2	एन ई आर	3	0	0	2	1	6	0	0	0	0	0
9	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल / TRS	2	एन ई आर	35	14	7	24	9	89	9	1	0	1	2
11	तकनीशियन ग्रेड III (फिटर)	2	एन ई आर	7	2	1	5	2	17	2	0	0	0	0
14	तकनीशियन ग्रेड III रिवर्टर	2	एन ई आर	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
18	तकनीशियन ग्रेड III (वेल्डर)	2	एन ई आर	5	1	1	3	1	11	1	0	0	0	0
	कुल - तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल			26	7	4	16	6	59	6	3	0	0	0
	कुल - तकनीशियन ग्रेड III			57	20	12	39	18	146	15	1	0	1	2
	आरआरबी गोरखपुर कुल			83	27	16	55	24	205	21	4	0	1	2

श्रेणी संख्या	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे जोन	यू आर	एस सी	एस टी	ओ बी सी	EWS	कुल	एक्स एस एम	एल डी	वी आय	हेच आय	एम डी
गुवाहाटी														
1	तकनीशियन ग्रेड- I सिग्रल	5	एन एफ आर	6	3	1	4	2	16	2	1	0	0	0
2	तकनीशियन ग्रेड-III ब्लैकस्मिथ	2	एन एफ आर	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
4	तकनीशियन ग्रेड-III कैरेज और वैगन	2	एन एफ आर	28	10	5	17	6	66	7	2	0	3	0
6	तकनीशियन ग्रेड III डीजल (इलेक्ट्रिकल)	2	एन एफ आर	8	3	2	5	2	20	2	0	0	0	0
7	तकनीशियन ग्रेड III डीजल (मैकेनिकल)	2	एन एफ आर	14	6	3	10	3	36	4	1	0	0	0
8	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल	2	एन एफ आर	132	50	25	92	35	334	35	9	0	6	1
15	तकनीशियन ग्रेड III (एस & टी)	2	एन एफ आर	22	8	4	15	5	54	5	3	0	0	0
16	तकनीशियन ग्रेड III ट्रैक मशीन	2	एन एफ आर	23	10	6	21	8	68	7	0	0	0	1
18	तकनीशियन ग्रेड III (वेल्डर)	2	एन एफ आर	11	4	2	8	3	28	3	1	0	1	0
	कुल - तकनीशियन ग्रेड I सिग्रल			6	3	1	4	2	16	2	1	0	0	0
	कुल - तकनीशियन ग्रेड III			240	91	47	168	62	608	63	16	0	10	2
	आरआरबी गुवाहाटी कुल			246	94	48	172	64	624	65	17	0	10	2
जम्मू-श्रीनगर														
1	तकनीशियन ग्रेड- I सिग्रल	5	एन आर	14	5	3	9	4	35	4	0	0	0	0
2	तकनीशियन ग्रेड-III ब्लैकस्मिथ	2	एन आर	3	2	1	2	1	9	1	0	0	0	0
4	तकनीशियन ग्रेड-III कैरेज और वैगन	2	एन आर	55	20	10	36	13	134	13	0	0	0	0
8	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल	2	एन आर	16	6	2	11	4	39	4	1	0	0	0
9	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल / TRS	2	एन आर	8	2	1	4	1	16	2	0	0	0	0
13	तकनीशियन ग्रेड III रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग	2	एन आर	15	6	2	10	3	36	4	0	0	0	0
15	तकनीशियन ग्रेड III (एस & टी)	2	एन आर	5	2	1	4	1	13	1	0	0	0	0
18	तकनीशियन ग्रेड III (वेल्डर)	2	एन आर	6	0	0	3	0	9	1	0	0	0	0
	कुल - तकनीशियन ग्रेड I सिग्रल			14	5	3	9	4	35	4	0	0	0	0
	कुल - तकनीशियन ग्रेड III			108	38	17	70	23	256	26	1	0	0	0
	आरआरबी जम्मू-श्रीनगर कुल			122	43	20	79	27	291	30	1	0	0	0
कोलकाता														
1	तकनीशियन ग्रेड- I सिग्रल	5	ई आर	24	7	4	15	4	54	6	1	0	0	0
1	तकनीशियन ग्रेड- I सिग्रल	5	मेट्रो	3	0	0	1	0	4	0	1	0	0	0
1	तकनीशियन ग्रेड- I सिग्रल	5	एस ई आर	7	3	1	4	1	16	2	0	0	0	0
2	तकनीशियन ग्रेड-III ब्लैकस्मिथ	2	ई आर	4	0	1	0	0	5	0	0	0	0	0
2	तकनीशियन ग्रेड-III ब्लैकस्मिथ	2	एस ई आर	1	1	0	1	1	4	0	0	0	0	0

श्रेणी संख्या	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे जोन	यू आर	एस सी	एस टी	ओ बी सी	EWS	कुल	एक्स एस एम	एल डी	वी आय	हेच आय	एम डी
कोलकाता														
5	तकनीशियन ग्रेड III। क्रेन चालक	2	ई आर	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
6	तकनीशियन ग्रेड III। डीजल (इलेक्ट्रिकल)	2	ई आर	4	1	2	1	1	9	1	0	0	0	0
7	तकनीशियन ग्रेड III। डीजल (मैकेनिकल)	2	ई आर	6	1	3	2	2	14	1	0	0	0	0
8	तकनीशियन ग्रेड III। इलेक्ट्रिकल	2	ई आर	28	5	9	2	4	48	4	0	0	0	0
8	तकनीशियन ग्रेड III। इलेक्ट्रिकल	2	एस ई आर	7	3	2	5	3	20	3	0	0	0	0
9	तकनीशियन ग्रेड III। इलेक्ट्रिकल / TRS	2	एस ई आर	2	0	1	1	1	5	1	0	0	0	0
10	तकनीशियन ग्रेड III। ई एम यु	2	ई आर	21	18	8	8	8	63	6	1	0	0	0
10	तकनीशियन ग्रेड III। ई एम यु	2	एस ई आर	19	8	4	14	5	50	5	0	0	0	0
11	तकनीशियन ग्रेड III। (फिटर)	2	ई आर	13	6	4	7	12	42	5	2	1	2	0
13	तकनीशियन ग्रेड III। रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग	2	ई आर	6	0	1	0	2	9	1	0	0	0	0
15	तकनीशियन ग्रेड III। (एस & टी)	2	ई आर	29	11	4	20	10	74	8	2	0	0	0
15	तकनीशियन ग्रेड III। (एस & टी)	2	मेट्रो	21	5	2	10	3	41	5	3	0	0	0
15	तकनीशियन ग्रेड III। (एस & टी)	2	एस ई आर	11	5	2	8	2	28	3	0	0	0	0
17	तकनीशियन ग्रेड III। टर्नर	2	ई आर	1	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0
18	तकनीशियन ग्रेड III। (वैल्डर)	2	ई आर	9	2	2	2	0	15	1	0	0	0	0
18	तकनीशियन ग्रेड III। (वैल्डर)	2	एस ई आर	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
	कुल - तकनीशियन ग्रेड I। सिग्नल			34	10	5	20	5	74	8	2	0	0	0
	कुल - तकनीशियन ग्रेड III।			183	67	45	82	55	432	44	8	1	2	0
	आरआरबी कोलकाता कुल			217	77	50	102	60	506	52	10	1	2	0
मालदा														
1	तकनीशियन ग्रेड - I। सिग्नल	5	ई आर	8	2	1	5	1	17	2	0	0	0	0
2	तकनीशियन ग्रेड - III। ब्लैकस्मिथ	2	ई आर	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
2	तकनीशियन ग्रेड - III। ब्लैकस्मिथ	2	एस ई आर	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0
6	तकनीशियन ग्रेड III। डीजल (इलेक्ट्रिकल)	2	ई आर	7	2	1	2	2	14	2	1	0	0	0
7	तकनीशियन ग्रेड III। डीजल (मैकेनिकल)	2	ई आर	5	3	1	4	3	16	2	2	0	0	0
8	तकनीशियन ग्रेड III। इलेक्ट्रिकल	2	ई आर	15	2	3	3	5	28	3	2	0	0	0
8	तकनीशियन ग्रेड III। इलेक्ट्रिकल	2	एस ई आर	3	1	0	1	0	5	0	0	0	0	0
9	तकनीशियन ग्रेड III। इलेक्ट्रिकल / TRS	2	ई आर	2	0	1	0	2	5	1	0	0	1	0
11	तकनीशियन ग्रेड III। (फिटर)	2	ई आर	21	0	3	2	4	30	3	2	0	1	0
11	तकनीशियन ग्रेड III। (फिटर)	2	एस ई आर	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

श्रेणी संख्या	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे जोन	यू आर	एस सी	एस टी	ओ बी सी	EWS	कुल	एक्स एस एम	एल डी	वी आय	हेच आय	एम डी
मालदा														
12	तकनीशियन ग्रेड III परमानेंट वे	2	एस ई आर	10	4	2	10	4	30	3	0	0	0	0
13	तकनीशियन ग्रेड III रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग	2	ई आर	3	1	0	1	1	6	1	0	0	0	0
13	तकनीशियन ग्रेड III रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग	2	एस ई आर	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
15	तकनीशियन ग्रेड III (एस & टी)	2	ई आर	23	4	4	9	4	44	5	2	0	0	0
15	तकनीशियन ग्रेड III (एस & टी)	2	एस ई आर	6	2	2	3	2	15	2	2	0	0	0
18	तकनीशियन ग्रेड III (वेल्डर)	2	ई आर	26	7	4	14	5	56	5	0	0	1	1
18	तकनीशियन ग्रेड III (वेल्डर)	2	एस ई आर	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	कुल - तकनीशियन ग्रेड I सिग्रल			8	2	1	5	1	17	2	0	0	0	0
	कुल - तकनीशियन ग्रेड III			129	26	21	50	32	258	27	11	0	3	1
	आरआरबी मालदा कुल			137	28	22	55	33	275	29	11	0	3	1
मुंबई														
1	तकनीशियन ग्रेड- I सिग्रल	5	सी आर	48	14	8	30	6	106	10	0	0	0	0
1	तकनीशियन ग्रेड- I सिग्रल	5	एस सी आर	6	1	0	2	0	9	1	0	0	0	0
1	तकनीशियन ग्रेड- I सिग्रल	5	डब्लु आर	14	6	3	10	4	37	4	2	0	0	0
2	तकनीशियन ग्रेड-III ब्लैकस्मिथ	2	सी आर	14	4	3	7	2	30	3	0	0	0	0
2	तकनीशियन ग्रेड-III ब्लैकस्मिथ	2	एस सी आर	2	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0
2	तकनीशियन ग्रेड-III ब्लैकस्मिथ	2	डब्लु आर	1	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0
3	तकनीशियन ग्रेड-III ब्रिज	2	सी आर	8	2	3	4	0	17	2	0	0	0	0
3	तकनीशियन ग्रेड-III ब्रिज	2	डब्लु आर	1	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0
4	तकनीशियन ग्रेड-III कैरेज और वैगन	2	डब्लु आर	22	3	2	23	7	57	6	1	0	1	0
5	तकनीशियन ग्रेड III क्रेन चालक	2	सी आर	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
6	तकनीशियन ग्रेड III डीजल (इलेक्ट्रिकल)	2	सी आर	17	4	3	10	3	37	4	0	0	0	0
6	तकनीशियन ग्रेड III डीजल (इलेक्ट्रिकल)	2	डब्लु आर	2	1	0	1	0	4	0	0	0	0	0
7	तकनीशियन ग्रेड III डीजल (मैकेनिकल)	2	सी आर	23	9	4	16	6	58	6	0	0	0	0
7	तकनीशियन ग्रेड III डीजल (मैकेनिकल)	2	डब्लु आर	2	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0
8	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल	2	सी आर	37	10	7	14	12	80	7	0	0	0	0
8	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल	2	डब्लु आर	5	9	2	9	5	30	4	0	0	0	0
9	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल / TRS	2	सी आर	52	13	12	28	13	118	12	0	0	0	0
9	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल / TRS	2	डब्लु आर	19	6	0	9	9	43	4	1	0	2	0

श्रेणी संख्या	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे जोन	यू आर	एस सी	एस टी	ओ बी सी	EWS	कुल	एक्स एस एम	एल डी	वी आय	हेच आय	एम डी
मुंबई														
10	तकनीशियन ग्रेड III। ई एम यु	2	सी आर	65	21	11	39	7	143	14	0	0	0	0
10	तकनीशियन ग्रेड III। ई एम यु	2	डब्लु आर	49	18	9	48	24	148	15	3	0	3	0
11	तकनीशियन ग्रेड III। (फिटर)	2	सी आर	36	7	5	28	12	88	9	0	0	0	0
13	तकनीशियन ग्रेड III। रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग	2	सी आर	18	5	3	10	2	38	4	0	0	0	0
13	तकनीशियन ग्रेड III। रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग	2	डब्लु आर	2	3	1	4	3	13	1	0	0	1	0
15	तकनीशियन ग्रेड III। (एस & टी)	2	सी आर	48	20	12	34	10	124	13	0	0	0	0
15	तकनीशियन ग्रेड III। (एस & टी)	2	एस सी आर	6	0	0	3	1	10	1	0	0	0	0
15	तकनीशियन ग्रेड III। (एस & टी)	2	डब्लु आर	11	5	0	9	9	34	4	2	0	0	0
16	तकनीशियन ग्रेड III। ट्रैक मशीन	2	डब्लु आर	9	1	1	4	1	16	2	0	0	0	0
18	तकनीशियन ग्रेड III। (वेल्डर)	2	सी आर	10	3	1	7	2	23	1	0	0	0	0
18	तकनीशियन ग्रेड III। (वेल्डर)	2	डब्लु आर	4	1	0	2	0	7	1	0	0	0	0
	कुल - तकनीशियन ग्रेड I। सिग्नल			68	21	11	42	10	152	15	2	0	0	0
	कुल - तकनीशियन ग्रेड III।			465	147	79	313	128	1132	113	7	0	7	0
	आरआरबी मुंबई कुल			533	168	90	355	138	1284	128	9	0	7	0
मुजफ्फरपुर														
1	तकनीशियन ग्रेड-। सिग्नल	5	ई सी आर	3	1	1	3	0	8	1	0	0	0	0
2	तकनीशियन ग्रेड-III। ब्लैकस्मिथ	2	ई सी आर	2	1	0	1	0	4	0	0	0	0	0
3	तकनीशियन ग्रेड-III। ब्रिज	2	ई सी आर	3	1	1	2	1	8	1	0	0	0	0
4	तकनीशियन ग्रेड-III। कैरेज और वेगन	2	ई सी आर	21	2	5	3	3	34	3	0	0	0	0
7	तकनीशियन ग्रेड III। डीजल (मैकेनिकल)	2	ई सी आर	3	1	0	1	1	6	1	0	0	0	0
8	तकनीशियन ग्रेड III। इलेक्ट्रिकल	2	ई सी आर	12	4	7	5	3	31	4	0	0	0	0
15	तकनीशियन ग्रेड III। (एस & टी)	2	ई सी आर	8	3	1	5	1	18	1	0	0	0	0
18	तकनीशियन ग्रेड III। (वेल्डर)	2	ई सी आर	2	1	0	1	0	4	0	0	0	0	0
	कुल - तकनीशियन ग्रेड I। सिग्नल			3	1	1	3	0	8	1	0	0	0	0
	कुल - तकनीशियन ग्रेड III।			51	13	14	18	9	105	10	0	0	0	0
	आरआरबी मुजफ्फरपुर कुल			54	14	15	21	9	113	11	0	0	0	0

श्रेणी संख्या	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे जोन	यू आर	एस सी	एस टी	ओ बी सी	EWS	कुल	एक्स एस एम	एल डी	वी आय	हेच आय	एम डी
पटना														
1	तकनीशियन ग्रेड- I सिग्नल	5	ई सी आर	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
3	तकनीशियन ग्रेड-III ब्रिज	2	ई सी आर	1	3	4	0	1	9	1	0	0	0	0
9	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल / TRS	2	ई सी आर	8	3	1	6	2	20	2	1	0	0	0
16	तकनीशियन ग्रेड III ट्रैक मशीन	2	ई सी आर	67	29	14	51	25	186	19	3	0	2	2
18	तकनीशियन ग्रेड III (वेल्डर)	2	ई सी आर	0	2	3	0	0	5	1	0	0	0	0
	कुल - तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल			0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
	कुल - तकनीशियन ग्रेड III			76	37	22	57	28	220	23	4	0	2	2
	आरआरबी पटना कुल			76	37	22	57	29	221	23	4	0	2	2
प्रयागराज														
1	तकनीशियन ग्रेड- I सिग्नल	5	एन सी आर	42	9	5	20	10	86	8	5	0	0	0
1	तकनीशियन ग्रेड- I सिग्नल	5	एन आर	19	6	5	9	6	45	5	0	0	0	0
2	तकनीशियन ग्रेड-III ब्लैकस्मिथ	2	एन सी आर	8	1	1	4	2	16	1	1	0	0	0
7	तकनीशियन ग्रेड III डीजल (मैकेनिकल)	2	एन सी आर	4	1	1	2	1	9	1	0	0	0	0
8	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल	2	एन सी आर	16	1	4	6	4	31	3	2	0	1	1
9	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल / TRS	2	एन सी आर	45	2	5	7	6	65	7	0	0	0	0
11	तकनीशियन ग्रेड III (फिटर)	2	एन सी आर	2	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0
15	तकनीशियन ग्रेड III (एस & टी)	2	एन सी आर	24	1	2	2	4	33	4	5	0	0	0
15	तकनीशियन ग्रेड III (एस & टी)	2	एन आर	2	2	2	3	1	10	1	0	0	0	0
16	तकनीशियन ग्रेड III ट्रैक मशीन	2	एन सी आर	16	6	3	9	5	39	4	2	0	0	0
18	तकनीशियन ग्रेड III (वेल्डर)	2	एन सी आर	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
	कुल - तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल			61	15	10	29	16	131	13	5	0	0	0
	कुल - तकनीशियन ग्रेड III			119	14	18	33	23	207	21	11	0	1	1
	आरआरबी प्रयागराज कुल			180	29	28	62	39	338	34	16	0	1	1
रांची														
1	तकनीशियन ग्रेड- I सिग्नल	5	ई सी आर	5	1	0	3	1	10	1	0	0	0	0
1	तकनीशियन ग्रेड- I सिग्नल	5	एस ई आर	8	3	1	5	2	19	2	1	0	0	0
2	तकनीशियन ग्रेड-III ब्लैकस्मिथ	2	ई सी आर	7	2	1	4	0	14	1	0	0	0	0
2	तकनीशियन ग्रेड-III ब्लैकस्मिथ	2	एस ई आर	1	1	1	1	0	4	0	0	0	0	0
3	तकनीशियन ग्रेड-III ब्रिज	2	ई सी आर	2	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0
4	तकनीशियन ग्रेड-III कैरेज और वेगन	2	ई सी आर	25	16	7	28	10	86	9	0	0	0	0

श्रेणी संख्या	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे जोन	यू आर	एस सी	एस टी	ओ बी सी	EWS	कुल	एक्स एस एम	एल डी	वी आय	हेच आय	एम डी
रांची														
6	तकनीशियन ग्रेड III डीजल (इलेक्ट्रिकल)	2	ई सी आर	8	2	1	4	1	16	2	0	0	0	0
7	तकनीशियन ग्रेड III डीजल (मैकेनिकल)	2	ई सी आर	9	4	1	6	1	21	2	0	0	0	0
8	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल	2	ई सी आर	8	0	0	2	0	10	0	0	0	0	0
8	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल	2	एस ई आर	13	3	3	7	3	29	3	0	0	0	0
9	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल / TRS	2	ई सी आर	5	2	1	4	1	13	1	0	0	0	0
9	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल / TRS	2	एस ई आर	10	4	2	7	3	26	3	0	0	1	0
15	तकनीशियन ग्रेड III (एस & टी)	2	ई सी आर	23	7	4	15	6	55	5	0	0	0	0
15	तकनीशियन ग्रेड III (एस & टी)	2	एस ई आर	15	6	3	9	4	37	4	3	0	0	0
18	तकनीशियन ग्रेड III (वेल्डर)	2	ई सी आर	1	2	1	2	1	7	1	0	0	0	0
	कुल - तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल			13	4	1	8	3	29	3	1	0	0	0
	कुल - तकनीशियन ग्रेड III			127	49	25	90	30	321	31	3	0	1	0
	आरआरबी रांची कुल			140	53	26	98	33	350	34	4	0	1	0
सिकंदराबाद														
1	तकनीशियन ग्रेड- I सिग्नल	5	एस सी आर	38	10	5	18	5	76	8	1	0	0	0
2	तकनीशियन ग्रेड-III ब्लैकस्मिथ	2	ई को आर	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2	तकनीशियन ग्रेड-III ब्लैकस्मिथ	2	एस सी आर	17	7	4	12	3	43	4	0	0	0	0
3	तकनीशियन ग्रेड-III ब्रिज	2	ई को आर	1	0	1	2	1	5	1	0	0	0	0
4	तकनीशियन ग्रेड-III कैरेज और वैगन	2	एस सी आर	39	8	4	18	14	83	9	0	0	2	0
6	तकनीशियन ग्रेड III डीजल (इलेक्ट्रिकल)	2	ई को आर	3	1	3	0	1	8	1	0	0	0	0
6	तकनीशियन ग्रेड III डीजल (इलेक्ट्रिकल)	2	एस सी आर	8	3	2	6	3	22	2	0	0	0	0
7	तकनीशियन ग्रेड III डीजल (मैकेनिकल)	2	ई को आर	4	2	3	1	1	11	1	0	0	0	0
7	तकनीशियन ग्रेड III डीजल (मैकेनिकल)	2	एस सी आर	37	13	7	24	11	92	10	1	0	1	1
8	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल	2	ई को आर	3	3	0	2	0	8	1	0	0	0	0
8	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल	2	एस सी आर	21	7	6	11	7	52	3	2	0	5	0
9	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल / TRS	2	एस सी आर	11	4	2	7	2	26	3	2	0	2	1
11	तकनीशियन ग्रेड III (फिटर)	2	ई को आर	5	7	9	0	4	25	3	0	1	0	0
13	तकनीशियन ग्रेड III रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग	2	ई को आर	0	3	4	2	0	9	1	0	0	0	0
13	तकनीशियन ग्रेड III रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग	2	एस सी आर	7	2	2	4	2	17	2	0	0	2	0

श्रेणी संख्या	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे जोन	यू आर	एस सी	एस टी	ओ बी सी	EWS	कुल	एक्स एस एम	एल डी	वी आय	हेच आय	एम डी
सिकंदराबाद														
14	तकनीशियन ग्रेड III रिक्टर	2	ई को आर	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0
14	तकनीशियन ग्रेड III रिक्टर	2	एस सी आर	2	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0
15	तकनीशियन ग्रेड III (एस & टी)	2	ई को आर	1	0	1	0	1	3	0	0	0	0	0
15	तकनीशियन ग्रेड III (एस & टी)	2	एस सी आर	76	23	17	46	18	180	18	2	0	0	0
16	तकनीशियन ग्रेड III ट्रैक मशीन	2	एस सी आर	10	4	1	7	3	25	3	1	0	1	0
18	तकनीशियन ग्रेड III (वेल्डर)	2	ई को आर	6	1	3	2	1	13	1	0	0	0	0
18	तकनीशियन ग्रेड III (वेल्डर)	2	एस सी आर	19	5	2	10	4	40	5	0	0	2	0
	कुल - तकनीशियन ग्रेड I सिग्रल			38	10	5	18	5	76	8	1	0	0	0
	कुल - तकनीशियन ग्रेड III			272	93	71	156	76	668	68	8	1	15	2
	आरआरबी सिकंदराबाद कुल			310	103	76	174	81	744	76	9	1	15	2
सिलीगुड़ी														
1	तकनीशियन ग्रेड - I सिग्रल	5	एन एफ आर	8	3	1	5	1	18	2	2	0	0	0
2	तकनीशियन ग्रेड-III ब्लैकस्मिथ	2	एन एफ आर	5	2	2	4	1	14	2	2	0	2	0
4	तकनीशियन ग्रेड-III कैरेज और वेगन	2	एन एफ आर	10	4	2	6	3	25	2	2	0	1	1
6	तकनीशियन ग्रेड III डीजल (इलेक्ट्रिकल)	2	एन एफ आर	2	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0
7	तकनीशियन ग्रेड III डीजल (मैकेनिकल)	2	एन एफ आर	2	0	0	1	1	4	0	1	0	0	0
8	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल	2	एन एफ आर	6	2	1	4	1	14	2	2	0	1	0
18	तकनीशियन ग्रेड III (वेल्डर)	2	एन एफ आर	2	1	0	1	1	5	1	2	0	0	0
	कुल - तकनीशियन ग्रेड I सिग्रल			8	3	1	5	1	18	2	2	0	0	0
	कुल - तकनीशियन ग्रेड III			27	9	5	16	8	65	7	9	0	4	1
	आरआरबी सिलीगुड़ी कुल			35	12	6	21	9	83	9	11	0	4	1
तिरुवनंतपुरम														
1	तकनीशियन ग्रेड - I सिग्रल	5	एस आर	14	4	3	6	3	30	3	1	0	0	0
2	तकनीशियन ग्रेड-III ब्लैकस्मिथ	2	एस आर	4	2	3	0	0	9	1	0	0	0	0
3	तकनीशियन ग्रेड-III ब्रिज	2	एस आर	1	1	3	0	0	5	1	0	0	0	0
4	तकनीशियन ग्रेड-III कैरेज और वेगन	2	एस आर	18	18	19	9	5	69	7	2	0	1	0
8	तकनीशियन ग्रेड III इलेक्ट्रिकल	2	एस आर	39	14	6	16	15	90	9	0	0	0	0
13	तकनीशियन ग्रेड III रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग	2	एस आर	6	2	2	2	3	15	2	0	0	0	0
14	तकनीशियन ग्रेड III रिक्टर	2	एस आर	0	1	2	0	0	3	0	0	0	0	0
15	तकनीशियन ग्रेड III (एस & टी)	2	एस आर	15	7	10	3	4	39	4	3	0	0	0

श्रेणी संख्या	पद का नाम	7वें सीपीसी में स्तर	रेलवे जोन	यू आर	एस सी	एस टी	ओ बी सी	EWS	कुल	एक्स एस एम	एल डी	वी आय	हेच आय	एम डी
तिरुवनंतपुरम														
16	तकनीशियन ग्रेड III ट्रैक मशीन	2	एस आर	2	4	2	0	0	8	1	0	0	0	0
18	तकनीशियन ग्रेड III (वेल्डर)	2	एस आर	4	3	3	0	0	10	1	0	0	0	0
	कुल - तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल			14	4	3	6	3	30	3	1	0	0	0
	कुल - तकनीशियन ग्रेड III			89	52	50	30	27	248	26	5	0	1	0
	आरआरबी तिरुवनंतपुरम कुल			103	56	53	36	30	278	29	6	0	1	0
	सभी आरआरबी कुल - तकनीशियन ग्रेड I सिग्नल			503	148	73	272	95	1092	114	29+1*	0	0	0
	सभी आरआरबी कुल - तकनीशियन ग्रेड III			3482	1127	649	1911	873	8052	819	162+3*	3	81+4*	17+3*
	सभी आरआरबी कुल			3985	1275	722	2183	968	9144	933	191+4*	3	81+4*	17+3*

* के साथ दर्शाई गई रिक्तियां बैकलॉग रिक्तियां हैं।

वेतन स्तर -2 में तकनीशियनों के पद के लिए पाठ्यक्रम पूर्ण अधिनियम अप्रेंटिस/आईटीआई के बदले इंजीनियरिंग में डिप्लोमा/डिग्री स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो। कोर्स कम्प्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप (सीसीए) के बदले में ग्रेजुएट एक्ट अप्रेंटिस स्वीकार नहीं किया जाएगा।

SC/ST अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/ कुमारी : *
 सुपुत्र/सुपुत्री * , श्री/श्रीमती* जो
 गाँव/कस्बे* जिला/मंडल* राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के/की
 निवासी है और जाति*/जनजाति से संबंधित है, जिसे निम्नलिखित के अधीन अनुसूचित
 जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है:

@संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950.

@संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950.

@संविधान (अनुसूचित जातियाँ) (केंद्र शासित प्रदेश) (भाग सी राज्य) आदेश 1951;

@संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) (केंद्र शासित प्रदेश) (भाग सी राज्य) आदेश 1951;

[जैसा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन आदेश 1956, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया है।]

@संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956

@संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित

@संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962

@संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति, आदेश, 1962

@संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964

@संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967

@संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968

@संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968

@संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

@संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978

@संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978.

@संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989

@संविधान (एससी) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990

@संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1991

@संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1996

@संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

@संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002

@अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

जैसा कि समय-समय पर संशोधन किया जाता है।

2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के मामले में लागू जो एक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से दूसरे राज्य में स्थानांतरित हो गए हैं।

यह प्रमाणपत्र श्री/श्रीमती/कुमारी* सुपुत्र/ सुपुत्री *,
श्री/श्रीमती* गाँव/कस्बे* जिला/मंडल*
..... राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
जो जाति*/जनजाति से संबंधित है, जिसे राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है, जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है।

3. श्री/श्रीमती/ कुमारि* और/या उसका/उसका परिवार
..... जिला/प्रमंडल, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में सामान्यतः
निवास करता है।

स्थान.....

हस्ताक्षर.....

तारीख.....

पद का नाम

(कार्यालय की मुहर के साथ)

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

*कृपया उन शब्दों को हटा दें जो लागू नहीं हैं।

@कृपया विशिष्ट राष्ट्रपति आदेश उद्धृत करें।% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे हटा दें।

ध्यान दें: यहां इस्तेमाल किए गए शब्द "'सामान्यतः निवास' करते हैं" का वही अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

जाति/जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने में सक्षम अधिकारी:

1. जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / डिप्टी कलेक्टर / प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट / सिटी मजिस्ट्रेट / उप-विभागीय मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी से नीचे नहीं) क्लास वजीफा मजिस्ट्रेट)।
2. मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
3. राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे न हो
4. उस क्षेत्र का उप-विभागीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है
5. केंद्र या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र, संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित।
6. प्रशासक/प्रशासक के सचिव (लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)।

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल)
द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*..... सुपुत्र/
सुपुत्री *, श्री/श्रीमती*..... जो
गाँव/कस्बे*..... जिला/मंडल*..... राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में
..... समुदाय से संबंधित है, जिसे भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प
संख्या..... दिनांकित** के तहत पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है।

श्री/श्रीमती/कु. और/या उसका/उसका परिवार
..... जिला/प्रमंडल, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में सामान्यतः
निवास करता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग कार्यालय ज्ञापन संख्या
36012/22/93-स्था. की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है।
(एससीटी) दिनांक 08/09/93 और भारत सरकार के डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013-स्था.(Res.)
दिनांक 13/09/2017*** द्वारा संशोधित।

दिनांकित:

जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त
/कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी
कार्यालय सील

*कृपया उन शब्दों को हटा दें जो लागू नहीं हैं।

** प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के संकल्प के विवरण का उल्लेख करना होगा, जिसमें
उम्मीदवार की जाति ओबीसी के रूप में उल्लिखित है।

*** समय-समय पर यथासंशोधित।

ध्यान दें:

क) यहां प्रयुक्त शब्द 'सामान्यतः निवास' का वही अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

बी) जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नीचे दर्शाए गए हैं:

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वजीफादार
मजिस्ट्रेट/उपविभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी
वजीफादार मजिस्ट्रेट के पद से नीचे नहीं)।

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो और उस क्षेत्र का उपविभागीय अधिकारी जहां उम्मीदवार
और/या उसका परिवार रहता है।

ओबीसी (एनसीएल) उम्मीदवार द्वारा स्व-घोषणा

दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा के लिए प्रोफार्मा, जिन्होंने केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या सीईएन (CEN) 02/2024 के तहत पद के लिए आवेदन किया था।

"मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी. * सुपुत्र/सुपुत्री *,
 श्री/श्रीमती* गाँव/कस्बे*
 जिला/मंडल* राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
 का निवासी एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं समुदाय(अपनी उपजाति बताएं) से संबंधित हूँ, जिसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था. (एससीटी) दिनांक 08.09.1993 में निहित आदेशों के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता दी गई है। यह भी घोषित किया जाता है कि मैं उपरोक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन दिनांक 08.09.1993 और इसके बाद ओ.एम.नं. 36033/1/2013-स्था. (आरईएस) दिनांक 13.09.2017 के माध्यम से संशोधन किया गया कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हूँ।

स्थान:

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

दिनांक:

उम्मीदवार का नाम

आरआरबी पंजीकरण संख्या.....

सरकार
(प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) द्वारा तैयार किया जाने वाला आय और संपत्ति प्रमाण पत्र)

प्रमाणपत्र संख्या.....

तारीख:

वर्ष के लिए वैध

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती. / कुमारी
..... का बेटा/बेटी/पत्नी.....

गाँव/गली.....डाकघर... ज़िला राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में
..... पिन कोड का स्थायी निवासी है और जिसका फोटो नीचे सत्यापित है, वह आर्थिक
रूप से कमजोर वर्ग से है, क्योंकि उसके "परिवार" ** की सकल वार्षिक आय* वित्तीय वर्ष के लिए 8 लाख (आठ
लाख रुपये मात्र) रुपये से कम है। उसके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति नहीं है***:

- I. 5 एकड़ कृषि भूमि और उससे अधिक;
- I. 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय प्लैट;
- II. अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
- III. अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी..... का जाति है जिसको अनुसूचित जाति, अनुसूचित
जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केन्द्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

**आवेदक का नवीनतम
पासपोर्ट आकार का फोटो।
इस प्रमाणपत्र को जारी करने
वाले प्राधिकारी द्वारा
सत्यापित किया जाना चाहिए**

की मुहर सहित हस्ताक्षर

कार्यालय

नाम

पद का नाम

* **Note 1:** आय में सभी स्रोत यानी वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा, आदि शामिल हैं।

** **Note 2:** इस उद्देश्य के लिए "परिवार" शब्द में वह व्यक्ति शामिल है, जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम उम्र के भाई-बहन, साथ ही उसका जीवनसाथी और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भी शामिल हैं।

*****Note 3:** ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति स्वामित्व परीक्षण लागू करते समय विभिन्न स्थानों या विभिन्न स्थानों/शहरों में एक "परिवार" द्वारा रखी गई संपत्ति को जोड़ दिया गया है।

आय और संपत्ति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नीचे दर्शाए गए हैं:

- (i) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट/उपविभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त।
- (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
- (iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो
- (iv) उपमंडल अधिकारी या वह क्षेत्र जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) उम्मीदवारों के लिए आय प्रमाण पत्र

केंद्रीकृत रोजगार सूचना (सीईएन) संख्या 02/2024 के तहत दस्तावेज़ सत्यापन के समय आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) के उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली परीक्षा शुल्क की छूट के लिए प्रोफार्मा

प्रमाणपत्र संख्या.....

1. उम्मीदवार का नाम:
2. पिता का नाम:
3. आयु:
4. आवासीय पता:
.....
.....
5. वार्षिक पारिवारिक आय (शब्दों और आंकड़ों में):

तारीख :

हस्ताक्षर:

नाम :

जारीकर्ता प्राधिकारी की मोहर:

ध्यान दें : आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) का मतलब वे उम्मीदवार होंगे जिनकी पारिवारिक आय 50,000/- रुपये प्रति वर्ष से कम है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के उद्देश्य से आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकारी अधिकृत हैं:

- (1) जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार स्तर तक का कोई अन्य राजस्व अधिकारी
- (2) अपने निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए लोकसभा के वर्तमान संसद सदस्य
- (3) राज्य सभा के वर्तमान संसद सदस्य उस जिले के व्यक्तियों के लिए जहां ये सांसद सामान्यतः रहते हैं।
- (4) केंद्रीय मंत्री - देश में कहीं से भी, कोई भी व्यक्ति के लिए।

घोषणा

केंद्रीकृत रोजगार सूचना (सीईएन) संख्या 02/2024 के तहत दस्तावेज़ सत्यापन के समय अल्पसंख्यक उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली परीक्षा शुल्क की छूट का प्रोफार्मा

मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी श्री का पुत्र/पुत्री, गांव/कस्बे/शहर जिला राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश का निवासी ये घोषित करता हूँ की (केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात मुस्लिम / सिख / ईसाई / बौद्ध / जैन / पारसी (पारसी) को इंगित करें) से संबंधित हूँ।

तारीख :

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

स्थान :

उम्मीदवार का नाम

आरआरबी पंजीकरण संख्या

ध्यान दें : दस्तावेज़ सत्यापन के समय परीक्षा शुल्क में छूट का दावा करने वाले ऐसे उम्मीदवारों को गैर-न्यायिक स्टाम्प-पेपर पर 'अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा' हलफनामा प्रस्तुत करना होगा कि वह केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय (यानी मुस्लिम) से हैं। / सिख / ईसाई / बौद्ध/जैन/पारसी(पारसी)।

फॉर्म -V

विकलांगता का प्रमाण पत्र

(अंगों के विच्छेदन या पूर्ण स्थायी पक्षाघात या बौनापन के मामलों में और अंधापन के मामलों में)

[नियम 18(1) देखें]

(प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

विकलांग व्यक्ति का
हालिया पासपोर्ट
आकार का सत्यापित
फोटो (केवल चेहरा
दिखाते हुए)

प्रमाणपत्र संख्या:

तारीख:

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी ,
पुत्र/पत्नी/पुत्री , जन्म तिथि (DD/MM/YYYY), आयु
..... वर्ष, पुरुष/महिला , पंजीकरण संख्या , मकान नंबर ,
वार्ड/गांव/गली , डाकघर , जिला , राज्य का स्थायी
निवासी है और जिसका फोटो ऊपर चिपका हुआ है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूँ कि:

A) वह निम्नलिखित का मामला है: (कृपया जो लागू हो उस पर टिक करें)

*लोकोमोटर विकलांगता

*बौनापन

*अंधापन

B) उसके मामले में निदान है

1) दिशानिर्देश (दिशानिर्देश जारी करने की संख्या और तारीख
निर्दिष्ट किया जाए) के अनुसार उसके (शरीर का हिस्सा) के संबंध में% (आंकड़े
में), प्रतिशत (शब्दों में) स्थायी लोकोमोटर विकलांगता / बौनापन / अंधापन है।

2) आवेदक ने निवास के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत किया है:

दस्तावेज़ की प्रकृति	जारी करने की तिथि	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

उस व्यक्ति के
हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
जिसके पक्ष में विकलांगता
प्रमाण पत्र जारी किया गया
है

अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत

हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर)

फॉर्म -VI
विकलांगता का प्रमाण पत्र
(एकाधिक विकलांगता के मामले में)

[नियम 18(1) देखें]
(प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

विकलांग व्यक्ति का
हालिया पासपोर्ट
आकार का सत्यापित
फोटो (केवल चेहरा
दिखाते हुए)

प्रमाणपत्र संख्या:

तारीख:

1) यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्री/श्रीमती/कुमारी
..... पुत्र/पत्नी/पुत्री
....., जन्म तिथि (DD/MM/YYYY), आयु
वर्ष, पुरुष/महिला, पंजीकरण संख्या, मकान नंबर, वार्ड/गांव/गली
....., डाकघर, जिला, राज्य का स्थायी निवासी है और
जिसका फोटो ऊपर चिपका हुआ है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और
हम संतुष्ट हैं कि:

A) वह एकाधिक विकलांगता का मामला है। उसकी स्थायी शारीरिक हानि/विकलांगता की सीमा का मूल्यांकन नीचे दी गई विकलांगता के लिए दिशानिर्देशों (दिशानिर्देश जारी करने की संख्या और तारीख) के अनुसार किया गया है और नीचे दी गई तालिका में प्रासंगिक विकलांगता के सामने दिखाया गया है:

क्र.सं.)	विकलांगता	शरीर का प्रभावित भाग	निदान	स्थायी शारीरिक हानि/मानसिक विकलांगता (% में)
1	Locomotor Disability लोकोमोटर विकलांगता	@		
2	Muscular Dystrophy मांसपेशीय दुर्बिकास			
3	Leprosy cured कुष्ठ रोग ठीक हुआ)			
4	Dwarfism बौनापन			
5	Cerebral Palsy मस्तिष्क पक्षाघात			
6	Acid attack Victim एसिड अटैक पीड़ित			
7	Low Vision कम दृष्टि	#		
8	Blindness अंधापन	#		
9	Deaf बहरा	£		
10	Hard of Hearing सुनने में कठिनाई	£		
11	Speech and Language disability वाणी और भाषा विकलांगता			
12	Intellectual Disability बौद्धिक विकलांगता			
13	Specific Learning Disability विशिष्ट सीखने की अक्षमता			
14	Autism Spectrum Disorder ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर			
15	Mental illness मानसिक बिमारी			
16	Chronic Neurological Conditions मानसिक बिमारी			

17	Multiple Sclerosis मल्टीपल स्क्लेरोसिस			
18	Parkinson's Disease पार्किंसंस रोग			
19	Hemophilia हीमोफीलिया			
20	Thalassemia थेलेसीमिया			
21	Sickle Cell disease सिकल सेल रोग			

(B) उपरोक्त के आलोक में, दिशानिर्देशों..... (दिशानिर्देश जारी करने की संख्या और तारीख) के अनुसार उसकी समग्र स्थायी शारीरिक हानि, इस प्रकार है:
अंकों में: प्रतिशत, शब्दों में: प्रतिशत

2) यह स्थिति प्रगतिशील/अप्रगतिशील है/सुधार होने की संभावना है/सुधार होने की संभावना नहीं है।

3) विकलांगता का पुनर्मूल्यांकन:

i) आवश्यक नहीं है, या

ii) अनुशंसित है/ वर्ष महीने के बाद, और इसलिए यह प्रमाणपत्र (दिन/माह/वर्ष) तक वैध रहेगा।

@ उदा. बाएँ/दाएँ/दोनों हाथ/पैर; # जैसे एक आंख/दोनों आंखें; £ उदा. बाएँ/दाएँ/दोनों कान

4) आवेदक ने निवास के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत किया है:

दस्तावेज़ की प्रकृति	जारी करने की तिथि	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

5) चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

सदस्य का नाम और मुहर	सदस्य का नाम और मुहर	सदस्य का नाम और मुहर

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके पक्ष में विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है

फॉर्म - VII

विकलांगता का प्रमाण पत्र
(एकाधिक विकलांगता के मामले में)

[नियम 18(1) देखें]

(प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

विकलांग व्यक्ति का
हालिया पासपोर्ट
आकार का सत्यापित
फोटो (केवल चेहरा
दिखाते हुए)

प्रमाणपत्र संख्या:

तारीख:

1) यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी
, पुत्र/पत्नी/पुत्री जन्म तिथि (DD/MM/YYYY), आयु
..... वर्ष, पुरुष/महिला, पंजीकरण संख्या, मकान नंबर
वार्ड/गांव/गली, डाकघर, जिला, राज्य का स्थायी
निवासी है और जिसका फोटो ऊपर चिपका हुआ है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूँ कि:

- A) यह विकलांगता का मामला है। उसकी स्थायी शारीरिक हानि/विकलांगता की सीमा का मूल्यांकन नीचे दी गई विकलांगता के लिए दिशानिर्देशों (दिशानिर्देश जारी करने की संख्या और तारीख) के अनुसार किया गया है और नीचे दी गई तालिका में प्रासंगिक विकलांगता के सामने दिखाया गया है:

क्र.सं.)	विकलांगता	शरीर का प्रभावित भाग	निदान	स्थायी शारीरिक हानि/मानसिक विकलांगता (% में)
1	Locomotor Disability लोकोमोटर विकलांगता	@		
2	Muscular Dystrophy मांसपेशीय दुर्विकास			
3	Leprosy cured कुष्ठ रोग ठीक हुआ)			
4	Cerebral Palsy मस्तिष्क पक्षाघात			
5	Acid attack Victim एसिड अटैक पीड़ित			
6	Low Vision कम दृष्टि	#		
7	Deaf बहरा	£		
8	Hard of Hearing सुनने में कठिनाई	£		
9	Speech and Language disability वाणी और			

	भाषा विकलांगता			
10	Intellectual Disability बौद्धिक विकलांगता			
11	Specific Learning Disability विशिष्ट सीखने की अक्षमता			
12	Autism Spectrum Disorder ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर			
13	Mental illness मानसिक बिमारी			
14	Chronic Neurological Conditions मानसिक बिमारी			
15	Multiple Sclerosis मल्टीपल स्क्लेरोसिस			
16	Parkinson's Disease पार्किंसंस रोग			
17	Hemophilia हीमोफीलिया			
18	Thalassemia थैलेसीमिया			
19	Sickle Cell disease सिकल सेल रोग			

(कृपया उन अक्षमताओं को काट दें जो लागू नहीं हैं)

B) उपरोक्त के आलोक में, दिशानिर्देशों..... (दिशानिर्देश जारी करने की संख्या और तारीख) के अनुसार उसकी समग्र स्थायी शारीरिक हानि, इस प्रकार है:
अंकों में: प्रतिशत, शब्दों में: प्रतिशत

2) यह स्थिति प्रगतिशील/अप्रगतिशील है/सुधार होने की संभावना है/सुधार होने की संभावना नहीं है।

3) विकलांगता का पुनर्मूल्यांकन:

i) आवश्यक नहीं है, या

ii) अनुशंसित है/ वर्ष महीने के बाद, और इसलिए यह प्रमाणपत्र (दिन/माह/वर्ष) तक वैध रहेगा।

@ उदा. बाएँ/दाएँ/दोनों हाथ/पैर; # जैसे एक आंख/दोनों आंखें; £ उदा. बाएँ/दाएँ/दोनों कान

4) आवेदक ने निवास के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत किया है:

दस्तावेज़ की प्रकृति	जारी करने की तिथि	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

प्रतिहस्ताक्षरित [(सीएमओ/चिकित्सा अधीक्षक के प्रतिहस्ताक्षर और मुहर) सरकारी अस्पताल के अधीक्षक/प्रमुख, यदि प्रमाणपत्र ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी सेवक नहीं है (मुहर के साथ)]		(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकरण के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) (नाम और मुहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके पक्ष में विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है

ध्यान दें: यदि यह प्रमाणपत्र किसी ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी सेवक नहीं है, तो यह केवल जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होने पर ही मान्य होगा। मुख्य नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या S.O.908(E), दिनांक 31 दिसंबर, 1996 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

लेखक (स्क्राइब) का उपयोग करने हेतु वचन-पत्र

ध्यान दें: दृष्टिबाधित (VI) उम्मीदवार/ उम्मीदवार जिनकी लेखन गति सेरेब्रल पाल्सी/मस्कुलर डिस्टॉफी से प्रभावित है/लोकोमोटर विकलांगता (एक हाथ) वाले उम्मीदवार /बौद्धिक विकलांगता (ऑटिज़्म, विशिष्ट सीखने की विकलांगता और मानसिक बीमारी) वाले उम्मीदवार लेखक के लिए पात्र हैं।

अभ्यर्थी द्वारा नियुक्त किए जाने वाले प्रस्तावित लेखक का विवरण

1. उम्मीदवार का नाम
2. रोल नंबर
3. सीबीटी केंद्र का नाम
4. उम्मीदवार की योग्यता
5. विकलांगता प्रकार
6. लेखक का नाम
7. लेखक की जन्म तिथि
8. लेखक के पिता का नाम
9. लेखक का पता::
(a) स्थायी पता
.....
(b) वर्तमान पता
.....
10. लेखक की शैक्षिक योग्यता
11. उम्मीदवार के साथ लेखक का संबंध, यदि कोई हो

यहां स्क्राइब का हालिया रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं जिसका आकार 3.5 सेमी x 4.5 सेमी है (रंगीन फोटोग्राफ 3 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए)

फोटो के नीचे उपरोक्त बॉक्स में लेखक के हस्ताक्षर

12. घोषणा:

- i) हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं। हमने इस परीक्षा में स्क्राइब/स्क्राइब द्वारा सहायता प्राप्त उम्मीदवारों के आचरण के संबंध में रेलवे भर्ती बोर्ड के निर्देशों को पढ़ा/पढ़ाया है और एतद्वारा उनका पालन करने का वचन देते हैं।
- ii) हम घोषणा करते हैं कि लेखक स्वयं इस परीक्षा में उम्मीदवार नहीं है। हम समझते हैं कि अन्यथा पाये जाने पर हम दोनों की उम्मीदवारी खारिज कर दी जायेगी।
- iii) हम घोषणा करते हैं कि लेखक ने इस परीक्षा में किसी अन्य अभ्यर्थी के लिए लेखक के रूप में कार्य नहीं किया है/नहीं करेगा।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

(लेखक के हस्ताक्षर)

ऊपर दिए गए बॉक्स में उम्मीदवार के बाएं अंगूठे का निशान

ऊपर दिए गए बॉक्स में लेखक के बाएं अंगूठे का

निशान

निरीक्षक के हस्ताक्षर

भूतपूर्व सैनिक कोटा का लाभ उठाकर नागरिक रोजगार के संबंध में भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा

मैं समझता हूँ कि मैं इस केंद्रीकृत रोजगार सूचना (सीईएन) के अंतर्गत आने वाली भर्ती के संबंध में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्ति पर नियुक्त होने के लिए पात्र नहीं होऊंगा, यदि मैंने ऐसी नियुक्ति से पहले किसी भी समय, पूर्व सैनिकों के लिए स्वीकार्य रिक्तियों के आरक्षण की रियायत का लाभ उठाकर नागरिक पक्ष (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय / वैधानिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक आदि सहित) में कोई रोजगार प्राप्त किया हो।

मैं इसके द्वारा निम्नलिखित तथ्य भी घोषित करता हूँ:

- क) सीईएन _____ के पदों के लिए दस्तावेज़ सत्यापन में भाग लेने से पहले, मैंने भूतपूर्व सैनिक कोटा का लाभ उठाकर कोई नागरिक रोजगार हासिल नहीं किया है।
- ख) मैंने सिविल रोजगार हासिल करने के लिए भूतपूर्व सैनिक कोटा का लाभ उठाया है और मैंने सीईएन _____ में अधिसूचित विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदनों के विवरण के बारे में अपने नियोक्ता को स्व-घोषणा/वचनपत्र दिया है, जिसके लिए मैंने नागरिक रोजगार में शामिल होने से पहले आवेदन किया है। वर्तमान नियोक्ता से स्व-घोषणा/वचन पत्र प्रस्तुत करने का प्रमाण पत्र संलग्न है।
- (जो लागू न हो उसे काट दें)।

स्थान:

.....

हस्ताक्षर:

तारीख:

.....

नाम:

अनुक्रमांक:

.....